The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-21112020-22321**9** CG-DL-W-21112020-223219

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित **PUBLISHED BY AUTHORITY**

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 21—नवम्बर 27, 2020 (कार्तिक 30, 1942) सं. 47]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 21—NOVEMBER 27, 2020 (KARTIKA 30, 1942) No. 47]

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

	पृष्ठ सं.	
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित् अधिसूचनाएं	743	छोड़कर) द्वारा जारी किए ग आदेश और अधिसूचनाएं भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	803	प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों व छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सा नियमों और सांविधिक आदेशों (स्वरूप की उपविधियां भी शामिल प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छो
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	7	के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड होते हैं) भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1771	नियम और आदेश भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, निः महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेव
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों	*	विभाग और भारत सरकार और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा
का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों	*	अधिसूचनाएंभाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की ग
के बिल तथा रिपोर्ट भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय	*	डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचन भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिका अथवा द्वारा जारी की गई अधि
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और		भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांवि द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, ३ और नोटिस शामिल हैं
उपविधियां आदि भी शामिल हैं) भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय *आंकडे पाज नहीं हुए।	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी द्वारा जारी किए गए विज्ञापन ॐ भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्य् को दर्शाने वाला सम्पूरक
*आकर पाप्त नहा हा।		

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक	
आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों	
(जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय	
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को	
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक	
नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य	
स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी	
प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत	
के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित	
होते हैं)	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक	
नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और	
महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल	
विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध	
और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई	
अधिसूचनाएं	1355
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और	
डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन	
अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों	
द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन	
और नोटिस शामिल हैं	313
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों	
द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	1505
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों	
को दर्शाने वाला सम्परक	*

CONTENTS

	Page		Page
Part I—Section 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	No. 743	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) Part II—Section 3—Sub-Section (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than	No. *
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence		Administration of Union Territories) Part II—Section 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
Part I—Section 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence Part II—Section 1—Acts, Ordinances and Regulations Part II—Section 1A—Authoritative texts in Hindi		Part III—Section 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1355
language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
Part II—Section 3—Sub-Section (i)—General Statutory Rules (including Orders, Byelaws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the		Part III—Section 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners Part III—Section 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	* 313
Administration of Union Territories) PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the	*	Part IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1505
Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		Part V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

^{*}Folios not received.

भाग I—खण्ड 1 [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 2020

सं. 138-प्रेज/2020—राष्ट्रपति, ओडिशा अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते है:—

श्री प्रकाश कुमार बल लीडिंग फायरमैन

- 2. श्री प्रकाश कुमार बल, लीडिंग फायरमैन 2019 की अविध में ओडिशा अग्निशमन सेवा में कार्यरत थे।
- 3. 07.09.2019 को 12.35 बजे पल्हारा फायर स्टेशन में सूचना प्राप्त हुई कि अन्धेरी नाला में एक व्यक्ति बह गया है। तत्काल अग्निशमन दल श्री लक्ष्मीकांत थापा, स्टेशन ऑफिसर की अगुवाई में घटना स्थल पर पहुँचा और देखा की श्री दोलगोबिंद दास अन्धेरी नाला के गहरे और तेज बहाव में फंस गया है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ रहा था और पानी तेज प्रवाह से बह रहा था। नदी का बहाव बहुत अधिक होने से बचाव कर्मी और पीड़ित के बह जाने की अधिक संभावनाएँ थी इस वजह से कोई भी बचाव कर्मी नदी में जाकर पीड़ित को बचाने का साहस नहीं कर रहा था। श्री प्रकाश कुमार बल, लीडिंग फायरमैन ने अपनी जान की परवाह न करते हुए रेस्क्यूलाईन और लाईफ जैकेट की मदद से नदी के ऊपरी वाली जगह पर जाकर नदी की विपरीत दिशा की तरफ तैरते हुए पीड़ित तक पहुँचने का प्रयास किया। नदी में तेज बहाव की वजह से वे पीड़ित तक पहुँचने में असफल रहे और एक पेड़ की शाखा को पकड़कर पानी के ऊपर तैरते रहे। कुछ देर राहत लेने के बाद उन्होंने फिर से तैरना शुरू किया और पीड़ित तक पहुँच गये।उन्होंने पीड़ित को सांत्वना देते हुए जीवन रक्षक जैकेट पहनाया तथा अपने साथ पीड़ित को तेज बहाव में तैरते हुए सुरक्षित स्थान तक पहुँचाकर उसकी जान बचायी।
- 4. श्री प्रकाश कुमार बल, लीडिंग फायरमैन ने उत्कृष्ठ वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता, कुशल नेतृत्व एवं उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।
- 5. यह पुरस्कार वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(1) के अनुसार प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः नियम 5(क) के अनुसार अनुमय विशेष भत्ता दिनांक 07.09.2019 से इसके साथ देय होगा।

जगन्नाथ श्रीनिवासन विशेष कार्य अधिकारी

- सं. 139-प्रेज/2020—राष्ट्रपति, मुम्बई फायर ब्रिगेड, महाराष्ट्रा अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—
 - श्री यशवंत रामचंद्र जाधव डिप्टी चीफफायर ऑफिसर
 - श्री उमेश गोपालराव पालांडे सीनियर स्टेशन ऑफिसर

- श्री तुकाराम मारूति पाटिल लीडिंग फायरमैन
- श्री सतीश शिवाजी शिंगडे फायरमैन
- 2. श्री यशवंत रामचंद्र जाधव, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर, श्री उमेश गोपाल राव पालांडे, सीनियर स्टेशन ऑफिसर, श्री तुकाराम मारूति पाटिल, लीडिंग फायरमैन एवं श्री सतीश शिवाजी शिंगडे, फायरमैन 2019 की अवधि में मुम्बई फायर ब्रिगेड, महाराष्ट्रा में कार्यरत थे।
- 3. 16.07.2019 को 11.41 बजे सूचना प्राप्त हुई कि केसर बाई बिल्डिंग, टंडेल स्ट्रीट क्रॉसलेन, एम.ए. सारंग मार्ग,डोंगरी, मुंबई में मकान नंबर 25 सी गिर गया है जिसमें40 से 45 निवासी और राहगीर मलबे में दब गया है। तत्काल अनेकों फायरस्टेशन से बचाव दल घटनास्थल की ओर रवाना हुये और वहाँ पहुँचने पर देखा कि इमारत का पिश्वमी भागपूर्णतः ढहकर 20 फीट ऊंचे मलबे के ढेर में परिवर्तित हो गया है। बचाव दल ने अपने जीवन की परवाह किए बिना बचाव अभियान शुरू किया और 08 पुरुषों, 07 महिलाएँ एवं 03 बच्चों को मलबे से बाहर सुरक्षित निकाला।
- 4. दूसरी पारी में पुनः दल ने 23.45 बजे, श्री वाई. आर. जाधव, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर के नेतृत्व में खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया और देखा कि मुख्य गार्डर के नीचे एक और व्यक्ति है। बचाव दल ने सतह पर पूरी सतर्कता के साथ दल के बीच वार्तालाप करते हुये छोटे से छेद के माध्यम से बचाव अभियान शुरू किया।श्री यू.जी. पालांडे, सीनियर स्टेशन ऑफिसर, श्री तुकाराम मारुति पाटिल, लीडिंग फायर मैन और श्री सतीश शिंगडे, फायरमैन, श्रीवाई.आर. जाधव, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर के नेतृत्व में कुल्हाड़ी एवं खाली हाथों से सावधानी बरतते हुये और गिरते हुये मलबे से अपने जीवन की परवाह किये बिना मलबे के प्रमुख हिस्से को हटाना शुरू किया। अब दल को महिला की अंगुलियाँ दिखायी देने लगी।बचाव दल ने उसकी अंगुलियों को पकड़ा तो उन्होंने बताया की उसके 02 बच्चे भी उसके आस पास में फंसे है। तुरन्त ही छेनी हथौड़ा और सब्बल की मदद से उसके आसपास के मलबे को तेजी से हटाना शुरू किया।मलबा हटते ही दोनों बच्चों का सिर दिखायी दिया।बचाव दल ने सावधानी-पूर्वक प्रयास कर के दोनों बच्चे को मलबे से बाहर निकाला और जे.जे. अस्पताल भेज दिया।
- 5. दोनों बच्चों को बाहर निकालने से काफी जगह खाली हो गई जिससे बचाव दल को महिला का ऊपरी हिस्सा भी दिखाई पड़ने लगा। महिला ने बताया की उसकी दोनों टांगे लम्बे गार्डर तथा शरीर दीवार एवं कंक्रीट स्लैब के बीच फंसा है। स्लैब को छेनी हथौड़े की मदद से धीरे-धीरे तोड़ा गया और जिम्मी की मदद से महिला के लिए जगह बनाई गई। सामने के मलबे को खोदकर हटाने के बाद उसके पैर को निकाला गया।वहाँ पर उपस्थित डॉक्टर ने उसे जाँच किया।महिला को वहाँ से निकालने में एक घन्टा लगा उसके बाद उन्हें जे.जे. अस्पताल भेज दिया गया।
- 4. श्रीयशवंत रामचंद्र जाधव, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर, श्रीउमेश गोपालराव पालांडे, सीनियर स्टेशन ऑफिसर, श्री तुकाराम मारूति पाटिल, लीडिंग फायरमैन एवं श्री सतीश शिवाजी शिंगडे, फायरमैन ने उत्कृष्ठ वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता, कुशल नेतृत्व एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।
- 5. यह पुरस्कार वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(1) के अनुसार प्रदान किये जाते हैं और परिणामतःनियम 5(क) के अनुसार अनुमय विशेष भत्ता दिनांक 16.07.2019 से इसके साथ देय होगा।

सं.-140-प्रेज/2020—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के निम्निलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

- श्री जितेंद्र कुमार फायर स्टेशन ऑफिसर
- 2. श्री सुशील कुमार वीरता के लिए अग्नि शमन सेवा पदक का प्रथम बार फायर स्टेशन ऑफिसर

- श्री श्रीनारायण सिंह फायर स्टेशन ऑफिसर
- श्री राजेश कुमार पाण्डेय लीडिंग फायरमैन
- श्री दुर्गाप्रसाद यादव फायर मैन
- 6. श्री जुमेद अहमद फायरमैन
- 2. श्री जितेंद्र कुमार, सुशील कुमार एवं श्री नारायण सिंह, फायर स्टेशन ऑफिसर श्री राजेश कुमार पाण्डेय, लीडिंग फायर मैन एवं श्री दुर्गा प्रसाद यादव एवं जुमेद अहमद, फायरमैन 2017 की अवधि में उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा में कार्यरत थे।
- 3. 15.07.2017 को 17.20 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ट्रॉमा सेंटर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आग लग गई है। तत्काल श्री जितेंद्र कुमार, फायर स्टेशन ऑफिसर बचाव दल एवं फायर टेंडर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और देखा कि ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल तीव्र गति से जल रही है और आग की लपटों से ऊपरी मंजिलें घिरी हुई है

जिसमें अस्पताल के कर्मचारी, रोगी एवं उनके परिवार के सदस्य फँसे हुए है । बचाव दल ने अग्नि शमन सूट पहन कर बचाव अभियान शुरू किया। इसी दौरान श्री अभय भान पांडेय चीफ फायर ऑफिसर, श्री सुशील कुमार फायर स्टेशन ऑफिसर और श्री नारायण सिंह फायर स्टेशन ऑफिसर अतिरिक्त फायर टेंडर के साथ वहां पहुंचे। बचाव प्रक्रिया के दौरान संभावित खतरे को देखते हुए ऑफिसर-इन-चार्ज ने दल को चारों ओर से लगातार पानी की भारी बौछार करने का एवं पीछे की तरफ हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लगाकर पीड़ितों को बचाने का आदेश दिया। श्री जितेंद्र कुमार, श्री सुशील कुमार और श्री नारायण सिंह फायर स्टेशन ऑफिसर, श्री राजेश कुमार पाण्डेय, लीडिंग फायरमैन, श्री दुर्गा प्रसाद यादव और जुमेद अहमद फायर मैन ड्रैगन लाइट के साथ निडर होकर अपनी जान की परवाह किये बिना फंसे हुये लोगों को बचाने का इढ़ निश्चय करके ऊपर चढ़ गये। वे साहस-पूर्वक आग में लिपटे दूसरे तल के अन्दर चले गये और डरे हुए रोगियों को सांत्वना दी और कुछ रोगियों को डॉक्टर और अटेंडेंस की मदद से कंधों पर लेकर हाइड्रोलिक फ्लेटफॉर्म से सुरक्षित बाहर निकाला। पुनः वे तेजी से ऊपर गये और तीसरे तल पर स्थित न्यूरो-सर्जरी, ट्रॉमा एवं टीवी वार्ड से 12 रोगियों एवं चतुर्थ तल पर स्थित एन.आई.सी.यू, एवं इमरजेंसी वार्ड से 08 बच्चों को बचाया।बचावदल अपने जीवन को जोखिम में डालकर विपरीत परिस्थिति से 254 बुढे एवं महिला रोगियों, नवजात शिशुओं को क्रीटीकल वार्ड से बचाया।

- 4. श्री जितेंद्र कुमार, सुशील कुमार एवं श्री नारायण सिंह, फायर स्टेशन ऑफिसर, श्री राजेश कुमार पाण्डेय, लीडिंग फायरमैन एवं श्री दुर्गा प्रसाद यादव और श्री जुमेद अहमद, फयरमैन ने उत्कृष्ठ वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता, कुशल नेतृत्व एवं उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।
- 5. यह पुरस्कार वीरता के लिए अग्नि शमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(1) के अनुसार प्रदान किये जाते हैं और परिणामतःनियम 5(क) के अनुसार अनुमय विशेष भत्ता दिनांक 15.07.2017 से इस के साथ देय होगा।

जगन्नाथ श्रीनिवासन विशेष कार्य अधिकारी

सं.-141-प्रेज/2020—राष्ट्रपति, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ऑयल इंडिया लिमिटेड के अग्निशमन सेवा के निम्न लिखित अधिकारियों को वीरता के लिए अग्नि शमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते है:——

- स्वः श्री टीकेश्वर गोहाई (मरणोपरांत)
 असिस्टेंट ऑपरेटर-IV (एफ.एस.)
- स्वः श्री हुरलोव गोगोई (मरणोपरांत)
 असिस्टेंट ऑपरेटर-। (एफ.एस.)

- 2. स्वः श्री टीकेश्वर गोहाई, असिस्टेंट ऑपरेटर-IV एवं स्वः श्री डुरलोव गोगोई, असिस्टेंट ऑपरेटर-I 2020 की अवधि में ऑयल इंडिया लिमिटेड दुलिया जान, असम में कार्यरत थे।
- 3. 27.05.2020 को लगभग 10.30 बजे ऑयल इंडिया लिमिटेड, बैग्जल, जिला तिनसुकिया, असम में गैस के कुएँ बैग्जल #5 में एक विस्फोट हुआ जिसके परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में गैस और वाष्प बाहर निकलने लगा।तत्काल ऑयल इंडिया लिमिटेड का अग्नि शमन दल एवं उनके सहयोगी घटनास्थल पर पहुँचे और सभी दिशाओं से लगातार पानी का छिड़काव करने लगे, तािक कोई भी विस्फोटक मिश्रण न बन पाये और वे लहेड क्षेत्र को ठंडा रखकर आग लगने की किसी भी संभावना को रोका जा सके। ओ.एन.जी.सी.एल., सी.एम.टी. सिव सागर एवं वड़ोदरा के अतिरिक्त दलों को बचाव कार्य में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मेसर्स अलर्ट 07.06.2020 को घटना स्थल पर पहुँचे और विस्फोट को नियंत्रित करने के सभी संभावनाओं का जायजा लिया। स्वः श्री टीकेश्वर गोहाई, असिस्टेंट ऑपरेटर-IV, एवं स्वः श्री इ्रलोव गोगोई, असिस्टेंट ऑपरेटर-I विस्फोट क्षेत्र के आस पास किसी भी विस्फोटक मिश्रण के निर्माण होने की स्थिति से पूरी तरह अवगत थे। खराब मौसम होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किये बिना लगातार पानी का छिड़काव करते रहे। दुर्भाग्यवश 09 जून 2020 को 13.15 बजे कुएँ में आग लग गई। तत्काल घटना स्थल पर मौजूद अग्निशमन दल आग नियंत्रित करने एवं लोगों और सामग्री को घटना स्थल से बाहर निकालने के लिए कार्रवाई करने लगे।आग की तीव्रता के कारण स्वःश्री टीकेश्वर गोहाई, असिस्टेंट ऑपरेटर-IV, एवं स्वः श्री इुरलोव गोगोई, असिस्टेंट ऑपरेटर-I निकट के जलाशय में कूद गये। जिसमें वे इब गये और उनके शव को एन.डी.आर.एफ. टीम द्वारा 10.06.2020 को 08.45 बजे निकाला गया।
- 4. स्वः श्री टीकेश्वर गोहाई, फायर सर्विस असिस्टेंट ऑपरेटर-IV एवं स्वः श्री डुरलोव गोगोई, फायर सर्विस असिस्टेंट ऑपरेटर-I ने उत्कृष्ठवीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता, कुशल नेतृत्व एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।
- 5. यह पुरस्कार वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(1) के अनुसार प्रदान किये जाते हैं और परिणामतःनियम 5(क) के अनुसार अनुमय विशेष भता दिनांक 09.06.2020 से इसके साथ देय होगा।

सं.-142प्रेज/2020—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:——

- श्री करमठोट जयराम नाइक डायरेक्टर ऑफ फायर सर्विस आन्ध्र प्रदेश
- श्री बैजू पणिकर पिआर असिस्टेंट स्टेशन ऑफिसर केरल
- श्री शिव कुमा रिव

 सीनियर फायर एवं रेस्क्यू ऑफिसर

 केरल
- श्री लाल रेमतलुआंगा वर्ते स्टेशन ऑफिसर मिजोरम
- श्री सुरेन्द्रनाथ गडपला स्टेशन ऑफिसर ओडिशा
- श्री मनोज कुमार साहू स्टेशन ऑफिसर ओडिशा

- श्री निताई चट्टोपाध्याय डिविजनल फायर ऑफिसर पश्चिम बंगाल
- श्री रामिनवास
 असिस्टेंट सब-इंस्पैक्टर/फायर
 सी.आई.एस.एफ., गृह मंत्रालय
- .9 श्री उत्तर कँवर शर्मा असिस्टेंट सब-इंस्पैक्टर/फायर सी.आई.एस.एफ., गृह मंत्रालय
- 10. श्री सौमित्र भट्टाचार्यजनरल मैनेजर (एफ.एस.)पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- श्री संजीव कपूर
 जनरल मैनेजर (एफ.एस.)
 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- 2. यह पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्नि शमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3 (ii) के तहत प्रदान किया जाता हैं।

सं. 143-प्रेज/2020—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए अग्नि शमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

- श्री मंचाला भूपाल रेड्डी डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर आन्ध्र प्रदेश
- श्री वुटकुरु श्रीनिवासा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर आन्ध्र प्रदेश
- .3 श्री बोडासिन्गी गोलाडु लीडिंग फायरमैन आन्ध्र प्रदेश
- श्री सुभाष चन्द सब-फायर ऑफिसर हिमाचल प्रदेश
- श्री राजेन्द्र सेन सब-फायर ऑफिसर हिमाचल प्रदेश

- 6. श्री मैडिव गोविंदा सेट्टी विजय कुमार रिजनल फायर ऑफिसर कर्नाटक
- 7. श्री काशी हेगड़े डोडय डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर कर्नाटक
- श्री नारासिम रामूर्ति
 डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर
 कर्नाटक
- श्री के. एम. रंगास्वामी फायर स्टेशन ऑफिसर कर्नाटक
- श्री चंद्रकांत गणपति
 असिस्टेंट फायर स्टेशन ऑफिसर कर्नाटक
- 11. श्री कृष्णप्पा सिंगारिकोडी फायरमैन कर्नाटक
- 12. श्री प्रदीप कुमार सी.ए. असिस्टेंट स्टेशन ऑफिसर केरल
- श्री निज़ार ए.आर.
 सीनियर फायर एवं रेस्क्यू ऑफिसर केरल
- 14. श्री मुहम्मद कुट्टी के. फायर एवं रेस्क्यू ऑफिसर केरल
- श्री दीपक खाशिंग लीडिंग फायरमैन मेघालय
- श्री किरशन बोलांग लींगडोह फायरमैन मेघालय
- श्री हिमंग थानजामाकोलनी फायरमैन मिजोरम
- 18. श्री रमेश चन्द्र माझि डिप्टी फायर ऑफिसर ओडिशा

- 19. श्री अशोक कुमार शतपथी स्टेशन ऑफिसर ओडिशा
- श्री निरंजन पट्टनायक स्टेशन ऑफिसर ओडिशा
- 21. श्री बेणुधर बेहेरा लीडिंग फायरमैन ओडिशा
- 22. श्री ककर्ला नरसिंहराव लीडिंग फायरमैन ओडिशा
- श्री धिरेन्द्र नाथ जेना ड्राइवर हवलदार ओडिशा
- 24. श्री मुरूगैयन चिनैय्या स्टेशन ऑफिसर तमिलनाडु
- 25. श्री एडवर्ड केल्विन बारतोलोम ड्राइवर मैकेनिक तमिलनाडु
- 26. श्री सुंदरराजन वीरवसंतलु फायरमैन ड्राइवर तमिलनाइ
- श्री वेंकणातगाराम
 डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर तेलंगना
- 28. श्री उप्पालाया मंत्री ड्राइवर ऑपरेटर तेलंगना
- श्री नकुलदेब बर्मा लीडिंग फायरमैन त्रिपुरा
- श्री भवेश चक्रवर्ती फायरमैन त्रिपुरा
- 31. श्री वंश नारायण यादव फायर स्टेशन सेकंडऑफिसर उत्तराखंड

- 32. श्री खजान सिंह तोमर लीडिंग फायरमैन उत्तराखंड
- 33. श्री देवतनु बासु डिविजनल फायर ऑफिसर पश्चिम बंगाल
- 34. श्री रंजन कुमार घोष स्टेशन ऑफिसर पश्चिम बंगाल
- 35. श्री राजीब चंद्रपॉल लीडर पश्चिम बंगाल
- 36. श्री गोपाल घोष फायर इंजन ऑपरेटर कम ड्राइवर पश्चिम बंगाल
- श्री उज्जल कुमार चक्रबोर्ती फायर ऑपरेटर पश्चिम बंगाल
- 38. श्री पंचम सिंह पयाल असिस्टेंट कमांडेंट/फायर सी.आई.एस.एफ., गृह मंत्रालय
- 39. श्री महेंद्र सिंह कंडारी इंस्पैक्टर/फायर सी.आई.एस.एफ., गृह मंत्रालय
- 40. श्री भूरि सिंह असिस्टेंट सब इंस्पैक्टर/फायर सी.आई.एस.एफ., गृह मंत्रालय
- 41. श्री हराकांत नाथ हेड कॉस्टेबल/फायर सी.आई.एस.एफ., गृह मंत्रालय
- 42. श्री पवन कुमार डिप्टी जनरल मैनेजर (एफ.एस.) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- 43. श्री युसुफ कसममूसा उनिया चीफ फायरमैन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- 44. श्री नितिन गणपत गांधी चीफ फायरमैन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

- 45. श्री राम्दास मरुतिगट्ली असिस्टेंट डिविजनल फायर ऑफिसर रक्षा मंत्रालय
- 46. श्री प्रेम भल्ल बबट लीडिंग फायर मैन रक्षा मंत्रालय
- 2. यह पुरस्कार, सराहनीय सेवा के लिए अग्नि शमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3 (ii) के तहत प्रदान किया जाता हैं।

सं. 144-प्रेज/2020—राष्ट्रपति, कर्नाटक नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करते है:—

- श्री पि.आर.एस. चेतन
 एडिशनल चीफ ऑफिसर कमांडिंग
- श्री गौतम हब्बुर गुरुमुर्ती डिप्टी डिविजनल वार्डेन
- श्री नागराजु पी गृह रक्षक
- 2. श्री पि.आर.एस. चेतन, एडिशनल चीफ ऑफिसर कमांडिंग, श्री गौतम हब्बुर गुरूमुर्ती, डिप्टी डिविजनल वार्डेन एवं श्री नागराजु पी गृह रक्षक 2019 की अविधि में कर्नाटक नागरिक स्रक्षा एवं गृह रक्षक विभाग में कार्यरत थे।
- 3. 12 अगस्त 2019 को प्रातःकाल टी.बी. जलाशय से 2.70 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया जिससे तुंगभद्रा नदी में बाढ़ आ गई। कोप्पल जिले के गंगावती तालुक के विरुपापुरा गड्डे में बाढ़ के कारण 360 से अधिक पर्यटक नदी के दूसरी तरफ फंस गये, जिसमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। घटना की सूचना मिलते ही श्री चेतन, श्री गौतम और श्री नागराजुदल के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हुए एवं बचाव कार्य शुरू किया।
- 4. श्री चेतन, श्री गौतम एवं श्री नागराजु को उफनती नदी में जानलेवा चट्टाने, भँवर, मगरमच्छ होने की जानकारी थी फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किये बिना उफनती नदी की दूसरी तरफ फंसे लोगों को बचाने की चुनौती स्वीकार की। बचाव दल ने रबड़ की नाव जिसमें ओ.बी.एम. लगी हुई थी उसके सहारे उफनती नदी के कई चक्कर लगाकर लोगों की जान बचाना शुरू किया। दल ने श्री चेतन के नेतृत्व में प्रतिदिन 16 से 18 घंटे कार्य करके कई बचाव अभियान खतरनाक एवं खराब मौसम में एक सप्ताह तक किया और 286 बहुमूल्य जीवन एवं मवेशियों को बचाया।
- 5. बचाव दल ने पुनः इस कठिन एवं चुनौतीपूर्ण स्थिति में बचाव कार्य शुरू किया इसी दौरान उनकी नाव तीव्र धारा के कारण पलट गई और सभी बचाव कर्मी धारा में बह गए। चार घंटे तक जीवन से संघर्ष करते हुए लगभग 13 किलोमीटर दूर तैर कर श्री चेतन सुरिक्षित बाहर निकल गए। श्री गौतम लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर तक नदी में बह गये और तीन घंटे तक एक पेड़ की शाखा को पकड़े रखा व अपने जीवन के लिए संघर्ष करते रहे। बाद में उन्हें वायुसेना द्वारा सुरिक्षित निकाला गया। श्री नागराजु लगभग 5 किलोमीटर तक बह गये और एक पेड़ की जड़ को पकड़कर अपने जीवन के लिए जूझते रहे जिन्हें ग्रामीणों की सहायता से बचाया गया। अतंतः उनकी बृद्दितत्परता, व्यक्तिगत प्रेरणा एवं शारिरीक क्षमता इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने में काम आया।
- 6. श्री पि.आर.एस. चेतन, एडिशनल चीफ ऑफिसर कमांडिंग, श्री गौतम हब्बुरगुरूमुर्ती, डिप्टी डिविजनल वार्डेन एवं श्री नागराजु पी गृह रक्षक ने उत्कृष्ठ वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता, कुशल नेतृत्व एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

7. यह पुरस्कार वीरता के लिए गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(1) के अनुसार प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः नियम 5 के अनुसार अनुमय विशेष भता दिनांक 12.08.2019 से इसके साथ देय होगा।

> जगन्नाथ श्रीनिवासन विशेष कार्य अधिकारी

सं. 145-प्रेज/2020—राष्ट्रपति, राजस्थान नागरिक सुरक्षा के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:---

- श्री महेन्द्र कुमार सेवदा नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक
- 2. श्री महेन्द्र कुमार सेवदा, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक 2019 की अवधि में राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग में कार्यरत थे।
- 3. 12/04/2020 को लगभग 06.00 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष से सूचना प्राप्त हुई कि केरला की ढाणी, गाँव एवं पोस्ट-तान निमिड़िया, तहसील- जमवारामगढ़, जिला-जयपुर में एक व्यक्ति 125 फीट गहरे पुराने क्षतिग्रस्त कुएँ में गिर गया है। सूचना मिलते ही तत्काल श्री सेवदा बचाव दल के साथ घटनास्थल पहुँचे और पाया कि एक व्यक्ति कुएँ में गिरा है। तत्काल श्री सेवदाने जीवन रक्षक साज-समान पहना और रस्सी के सहारे कुएँ में मौजूद जहरीले गैस के खतरे की परवाह किए बिना उत्तर गये। कुएँ के धरातल पर पहुँचकर देखा कि पीड़ित गंभीर रूप से घायल व सचेत है। श्री सेवदाने अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए पीड़ित को वही पर प्रथम उपचार दिया और उसका मनोबल बनाये रखने के लिए लगातार वार्तालाप करते हुए सावधानी पूर्वक पीड़ित को सुरक्षित बाहर निकाला।
- 4. श्री महेन्द्र कुमार सेवदा, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक ने उत्कृष्ठ वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कार्यकुशलता, उच्च कोटिका नेतृत्व एवं कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।
- 5. यह पुरस्कार वीरता के लिए गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(1) के अनुसार प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः नियम 5 के अनुसार अनुमय विशेष भत्ता दिनांक 12.04.2020 से इसके साथ देय होगा।

जगन्नाथ श्रीनिवासन विशेष कार्य अधिकारी

सं. 146-प्रेज/2020—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

- श्री भोजपाल वर्मा सीनियर स्टाफ ऑफिसर मध्य प्रदेश
- श्री करण सिंह ठाकुर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट मध्य प्रदेश
- श्री गणेश बारीक सिविल डिफेंस वालंटियर ओडिशा
- श्री हरमनजीत सिंह डिप्टी कमांडेंट जनरल पंजाब
- श्री इन्द्रमल बुनकर डिप्टी कंट्रोलर राजस्थान

- श्री संदीप सत्य प्रकाश शर्मा डिप्टी कमांडेंट जनरल राजस्थान
- श्री रामसिंह हर्षाणा डिप्टी कमांडेंट राजस्थान

.2 यह पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3 (ii) के तहत प्रदान किया जाता है।

> जगन्नाथ श्रीनिवासन विशेष कार्य अधिकारी

सं. 147-प्रेज/2020—राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैः—

- श्री अरुण कुमार बौराह सुबेदार असम
- श्री कमलेश्वर शर्मा स्टोर सुपरिटेंडेंट असम
- श्री प्रफुल्ला चन्द्र देखा
 प्लाटून कमांडर
 असम
- 4. श्री रंजीत मजूमदार नाइक असम
- श्री जगदीश चंद कंपनी कमांडर हिमाचल प्रदेश
- श्री राजीय कटोच सैक्शन लीडर हिमाचल प्रदेश
- 7. श्री इमामली बशासाब हुनगुन्द प्लाटून कमांडर एवं यूनिट ऑफिसर कर्नाटक
- 8. श्री वरदराज कुलकर्णी प्लाटून कमांडर/यूनिट ऑफिसर कर्नाटक
- 9. डाँ. एंथनी साइमन लुकस डिविजनल वार्डन कर्नाटक

- कुमारी ऊषा डामर
 डिविजनल कमांडेंट
 मध्य प्रदेश
- श्री भारत सिंह हारी सब इंस्पैक्टर (एम.) मध्य प्रदेश
- 12. श्री शॉवेल मारखप सब इंस्पैक्टर-मेघालय
- श्री राजेश जी. मोमिन हवलदार इंस्ट्रक्टर मेघालय
- 14. श्रीमती गीतारानी बेहेरागृह रक्षकओडिशा
- श्री अरुण कुमार साहु
 गृह रक्षक
 ओडिशा
- श्री प्रदीप कुमार दाश
 गृह रक्षक
 ओडिशा
- श्री बिष्णु चरण भुजबल प्लाटून कमांडर ओडिशा
- 18. श्री गुरिंदर पाल सिंह जे.एस.ओ. पंजाब
- 19. श्री अनिल कुमार डिस्ट्रिक्ट कमांडर पंजाब
- श्री राजेन्द्र कृष्ण डिस्ट्रिक्ट कमांडर पंजाब
- श्रीमित सुखनन्दन कौर सीनियर असिस्टेंट पंजाब
- 22. श्री निर्मल सिंह प्लाटून कमांडर पंजाब
- 23. श्री गुरचरण सिंह चीफ वार्डन पंजाब

- 24. श्री रछपाल सिंह प्लाटून कमांडर पंजाब
- श्री भवानी शंकर शर्मा डिविजनल वार्डन राजस्थान
- 26. श्री विरेन्द्र सिंह राठौड कंपनी कमांडर राजस्थान
- 27. श्री शिव दयाल कंपनी कमांडर राजस्थान
- 28. श्री बृजेश कुमार एच.पी.सी. राजस्थान
- श्री पलनी मानिकवेलु
 असिस्टेंट कमांडेंट जनरल तमिलनाडु
- 30. श्री सेन्निअप्पन मुरुगेसन कंपनी कमांडर तमिलनाडु
- श्री श्रीदाम महाजन
 गृह रक्षक वालंटियर
 त्रिपुरा
- 32. श्री जािकर होसेन गृह रक्षक वालंटियर त्रिप्रा
- 2. यह पुरस्कार, सराहनीय सेवा के लिए गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3 (ii) के तहत प्रदान किया जाता हैं।

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-01, दिनांक 14 अक्टूबर 2020

- सं. 11-9/2019-यू.3(ए) पार्ट—जबिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उत्कृष्ट संस्था का दर्जा चाहने वाले प्रत्येक मौजूदा या प्रस्तावित संस्था, जो सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में न हो, के लिए यूजीसी उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 जारी किए थे।
- 2. और जबिक बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (इसके बाद 'बीआईटीएस' के रूप में संदर्भित), पिलानी, राजस्थान ने उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था दर्जा प्रदान करने के लिए 09.12.2017 को अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।

- 3. और इसके अलावा जबिक, आवेदन को इस प्रयोजनार्थ गठित अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) को सौंपने हेतु यूजीसी को अग्रेषित कर दिया गया था। ईईसी ने संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के साथ-साथ ईईसी के समक्ष इसके द्वारा 05.04.2018 को दी गई प्रस्तुतियों के आधार पर मूल्यांकन किया था।
- 4. और जबिक, ईईसी ने समग्र मूल्यांकन के बाद, यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के अनुसार बीआईटीएस को उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था का दर्जा प्रदान करने के लिए अनुशंसित किया था। यूजीसी द्वारा 09.07.2018 को आयोजित उनकी 533वीं बैठक में अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और इसे अनुमोदित किया गया था।
- 5. और इसके अलावा जबिक, शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी और अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर उत्कृष्ट संस्था की योजना के तहत बीआईटीएस का नाम चिन्हित करते हुए 20.09.2018 को एक आशय पत्र जारी किया था।
- 6. और जबिक यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के खंड 6.4 (ज) के अनुसार, बीआईटीएस ने योजनाओं के अनुसार दिनांक 22.12.2018 के अपने पत्र सं.बीआईटीएस/एमएचआरडी/आईओई/दिस के माध्यम से शैक्षिक संचालन शुरू करने के लिए अपनी तैयारी का संकेत दिया था।
- 7. और जबिक, यूजीसी (उत्कृष्ट समयत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के खंड 6.4 (झ) के अनुसार, ईईसी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा 27-28 जनवरी, 2020 को शैक्षिक संचालन शुरू करने के लिए आशय पत्र में निर्धारित समय के अनुरूप बीआईटीएस द्वारा की गई प्रगति का पता लगाने के लिए बीआईटीएस की तैयारी का मूल्यांकन किया। जबिक, विशेषज्ञ समिति की स्थल दौरा रिपोर्ट 20.03.2020 को अध्यक्ष, ईईसी द्वारा अनुमोदित की गई थी और इसके बाद आयोग द्वारा 14.05.2020 को अपनी बैठक में इस पर अनुमोदन हेतु विचार किया गया था।
- 8. और जबिक, मंत्रालय ने संस्था के साथ यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के विनियम 8.6 के अनुसार 01.10.2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- 9. अब इसलिए केन्द्र सरकार यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईईसी और यूजीसी की सिफारिशों पर, बीआईटीएस को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 'उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्थान' के रूप में घोषित करती है। यह घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:—
 - i) यह संस्था 'उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था' घोषित होने पर यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगी और इन विनियम, 2017 के विनियम 11.1 से 11.6 में निर्धारित विषयक्षेत्रों से संबंधित मामलों में सभी यूजीसी विनियमों और आयोग के अन्य दिशानिर्देशों, अधिसूचनाओं और आदेशों से छूट प्राप्त होगी। संस्थान को यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 में दिए गए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेंगे।
 - ii) केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के अनुसार, संस्था को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। तथापि, संस्था को विशिष्ट अध्ययन/ परियोजनाओं के लिए आवंटित सरकारी नीधि के उपयोग से मना नहीं किया जाएगा, जिसे वह निष्पादित करे।
 - iii) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था को उद्योग या पूर्व छात्रों या अन्य अंशदाताओं से संसाधन जुटाने और इसे किसी प्राधिकारी से अनुमति लिए बिना अपनी कार्यान्वयन योजना के अनुसार उपयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी।
 - iv) इस अधिसूचना के जारी होने के बाद उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था की उनकी 15 वर्षीय कार्यनीति योजनाओं के मद्देनजर, अपनी कार्यान्वयन योजनाओं का पालन करने के लिए ईईसी द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी।
 - v) यह निगरानी और समीक्षा उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था के लगातार दो वर्षों या 15 वर्षों तक, जो भी पहले हो, प्रतिष्ठित विश्व रैंकिंग में शीर्ष सौ स्थान प्राप्त करने तक जारी रहेगी। वार्षिक समीक्षा का कार्य, प्रत्येक वर्ष जून तक पूरा कर लिया जाएगा।
 - vi) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था प्रत्येक वर्ष ईईसी को कार्यान्वयन और कार्यनीति योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति के बारे में समिति द्वारा भी विनिर्धारित रूप में जानकारी प्रदान करेगी।
 - vii) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था अपने कार्यान्वयन और कार्यनीति योजनाओं के अनुपालन से संबंधित वार्षिक सूचना की रिपोर्ट स्वयं तैयार करेगी और इसे सार्वजनिक करेगी।

- viii) उत्कर्ष समवत विश्वविद्यालय संस्था, में नियम 4.2.15 के संदर्भ में इस अधिसूचना के जारी होने के पांच वर्षों के भीतर प्रत्यायन प्राप्त करेगी।
- ix) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में गिनी जाती रहेगी और इस अधिसूचना के 5 वर्ष के भीतर यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग इंडेक्स में रैंक प्राप्त करेगी। यह संस्था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क में रैंक प्राप्त करना जारी रखेगी।
- x) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था छात्रों एवं संकाय की शिकायतों और अनुचित व्यवहार के आरोपों से निपटने के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति करेगी। चयनित लोकपाल संस्था या वर्तमान या पिछले प्रबंधन से संबंधित नहीं होना चाहिए और लोकपाल की नियुक्ति से पहले ईईसी की सहमति ली जानी चाहिए। लोकपाल का संपर्क विवरण प्रमुख रूप से परिसर में संस्था की वेबसाइट के होमपेज और विवरण-पुस्तिका में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- xi) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था की प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी और वित्त वर्ष पूरा होने के 9 महीने के भीतर लेखा परीक्षा रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजी जाएगी।
- xii यदि उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था 5वें वर्ष या इसके बाद के वर्षों के अंत में लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाती और कार्यान्वयन योजना से, जैसा कि ईईसी द्वारा निर्धारित की गई है, काफी अधिक विचलन होता है, तो ईईसी शिक्षा मंत्रालय को इन विनियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने की सिफारिश करेगी।

चन्द्र शेखर कुमार संयुक्त सचिव

सं. 11-9/2019-यू.3(ए) पार्ट— जबिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उत्कृष्ट संस्था का दर्जा चाहने वाले प्रत्येक मौजूदा या प्रस्तावित संस्था, जो सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में न हो, के लिए यूजीसी उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 जारी किए थे।

- 2. और जबिक मणिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी (इसके बाद 'एमएएचई' के रूप में संदर्भित), मणिपाल कर्नाटक ने उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था दर्जा प्रदान करने के लिए 08.12.2017 को अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।
- 3. और इसके अलावा जबिक, आवेदन को इस प्रयोजनार्थ गठित अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) को सौंपने हेतु यूजीसी को अग्रेषित कर दिया गया था। ईईसी ने संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के साथ-साथ ईईसी के समक्ष इसके द्वारा 05-04-2018 को दी गई प्रस्तुतियों के आधार पर मूल्यांकन किया था।
- 4. और जबिक, ईईसी ने समग्र मूल्यांकन के बाद, यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के अनुसार एमएएचई को उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था का दर्जा प्रदान करने के लिए अनुशंसित किया था। यूजीसी द्वारा 09.07.2018 को आयोजित उनकी 533वीं बैठक में अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और इसे अनुमोदित किया गया था।
- 5. और इसके अलावा जबिक, शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी और अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर उत्कृष्ट संस्था की योजना के तहत एमएएचई का नाम चिन्हित करते हुए 23.07.2018 को एक आशय पत्र जारी किया था।
- 6. और जबिक यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के खंड 6.4 (ज) के अनुसार, एमएएचई ने योजनाओं के अनुसार दिनांक 28.08.2018 के अपने पत्र सं. एमएएचई/डीयू-आईओई/2018 के माध्यम से शैक्षिक संचालन शुरू करने के लिए अपनी तैयारी का संकेत दिया था।
- 7. और जबिक, यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के खंड 6.4 (झ) के अनुसार, ईईसी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ सिमित द्वारा 16-17 दिसंबर, 2019 को शैक्षिक संचालन शुरू करने के लिए आशय पत्र में निर्धारित समय के अनुरूप एमएएचई द्वारा की गई प्रगति का पता लगाने के लिए एमएएचई की तैयारी का मूल्यांकन किया। जबिक, विशेषज्ञ सिमिति की स्थल दौरा रिपोर्ट 20.03.2020को अध्यक्ष, ईईसी द्वारा अनुमोदित की गई थी और इसके बाद आयोग द्वारा 14.05.2020 को अपनी बैठक में इस पर अनुमोदन हेत् विचार किया गया था।

- 8. और जबिक, मंत्रालय ने संस्था के साथ यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के विनियम 8.6 के अनुसार 09.10.2020 को समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए।
- 9. अब इसिलए केन्द्र सरकार यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईईसी और यूजीसी की सिफारिशों पर, एमएएचई को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 'उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्थान' के रूप में घोषित करती है। यह घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:
 - i) यह संस्था 'उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था' घोषित होने पर यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगी और इन विनियम, 2017 के विनियम 11.1 से 11.6 में निर्धारित विषय क्षेत्रों से संबंधित मामलों में सभी यूजीसी विनियमों और आयोग के अन्य दिशानिर्देशों, अधिसूचनाओं और आदेशों से छूट प्राप्त होगी। संस्थान को यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 में दिए गए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेंगे।
 - ii) केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के अनुसार, संस्था को कोई वितीय सहायता नहीं दी जाएगी। तथापि, संस्था को विशिष्ट अध्ययन/ परियोजनाओं के लिए आवंटित सरकारी नीधि के उपयोग से मना नहीं किया जाएगा, जिसे वह निष्पादित करे।
 - iii) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था को उद्योग या पूर्व छात्रों या अन्य अंशदाताओं से संसाधन जुटाने और इसे किसी प्राधिकारी से अनुमति लिए बिना अपनी कार्यान्वयन योजना के अनुसार उपयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी।
 - iv) इस अधिसूचना के जारी होने के बाद उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था की उनकी 15 वर्षीय कार्यनीति योजनाओं के मद्देनजर, अपनी कार्यान्वयन योजनाओं का पालन करने के लिए ईईसी द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी।
 - v) यह निगरानी और समीक्षा उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था के लगातार दो वर्षों या 15 वर्षों तक, जो भी पहले हो, प्रतिष्ठित विश्व रैंकिंग में शीर्ष सौ स्थान प्राप्त करने तक जारी रहेगी। वार्षिक समीक्षा का कार्य, प्रत्येक वर्ष जून तक पूरा कर लिया जाएगा।
 - vi) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था प्रत्येक वर्ष ईईसी को कार्यान्वयन और कार्यनीति योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति के बारे में समिति द्वारा भी विनिर्धारित रूप में जानकारी प्रदान करेगी।
 - vii) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था अपने कार्यान्वयन और कार्यनीति योजनाओं के अनुपालन से संबंधित वार्षिक सूचना की रिपोर्ट स्वयं तैयार करेगी और इसे सार्वजनिक करेगी।
 - viii) उत्कर्ष समवत विश्वविद्यालय संस्था, में नियम 4.2.15 के संदर्भ में इस अधिसूचना के जारी होने के पांच वर्षों के भीतर प्रत्यायन प्राप्त करेगी।
 - ix) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में गिनी जाती रहेगी और इस अधिसूचना के 5 वर्ष के भीतर यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग इंडेक्स में रैंक प्राप्त करेगी। यह संस्था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क में रैंक प्राप्त करना जारी रखेगी।
 - x) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था छात्रों एवं संकाय की शिकायतों और अनुचित व्यवहार के आरोपों से निपटने के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति करेगी। चयनित लोकपाल संस्था या वर्तमान या पिछले प्रबंधन से संबंधित नहीं होना चाहिए और लोकपाल की नियुक्ति से पहले ईईसी की सहमित ली जानी चाहिए। लोकपाल का संपर्क विवरण प्रमुख रूप से परिसर में संस्था की वेबसाइट के होमपेज और विवरण-पुस्तिका में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
 - xi) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था की प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी और वित्त वर्ष पूरा होने के 9 महीने के भीतर लेखा परीक्षा रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजी जाएगी।
 - xii) यदि उत्कृष्ट समयत विश्वविद्यालय संस्था 5वें वर्ष या इसके बाद के वर्षों के अंत में लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाती और कार्यान्वयन योजना से, जैसा कि ईईसी द्वारा निर्धारित की गई है, काफी अधिक विचलन होता है, तो ईईसी शिक्षा मंत्रालय को इन विनियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने की सिफारिश करेगी।

चन्द्र शेखर कुमार संयुक्त सचिव

- सं. 11-9/2019-यू.3(ए) पार्ट——जबिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उत्कृष्ट संस्था का दर्जा चाहने वाले प्रत्येक मौजूदा या प्रस्तावित संस्था, जो सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में न हो, के लिए यूजीसी उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 जारी किए थे।
- 2. और जबिक ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (इसके बाद 'ओपीजेजीयू' के रूप में संदर्भित), सोनीपत, हरियाणा ने उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था दर्जा प्रदान करने के लिए 08.12.2017 को अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।
- 3. और इसके अलावा जबिक, आवेदन को इस प्रयोजनार्थ गठित अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) को सौंपने हेतु यूजीसी को अग्रेषित कर दिया गया था। ईईसी ने संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के साथ-साथ ईईसी के समक्ष इसके द्वारा 05-04-2018 को दी गई प्रस्तुतियों के आधार पर मूल्यांकन किया था।
- 4. और जबिक, ईईसी ने समग्र मूल्यांकन के बाद, यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के अनुसार ओपीजेजीयू को उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था का दर्जा प्रदान करने के लिए अनुशंसित किया था। यूजीसी द्वारा 02.08.2019 को आयोजित उनकी 542वीं बैठक में अधिकारप्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और इसे अनुमोदित किया गया था।
- 5. और इसके अलावा जबिक, शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी और अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर उत्कृष्ट संस्था की योजना के तहत ओपीजेजीयू का नाम चिन्हित करते हुए 16.09.2019 को एक आशय पत्र जारी किया था।
- 6. और जबिक यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के खंड 6.4 (ज) के अनुसार, ओपीजेजीयू ने योजनाओं के अनुसार दिनांक 20.12.2019 के अपने पत्र के माध्यम से शैक्षिक संचालन शुरू करने के लिए अपनी तैयारी का संकेत दिया था।
- 7. और जबिक, यूजीसी (उत्कृष्ट समयत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के खंड 6.4 (झ) के अनुसार, ईईसी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा 25-26 जून, 2020 को शैक्षिक संचालन शुरू करने के लिए आशय पत्र में निर्धारित समय के अनुरूप ओपीजेजीयू द्वारा की गई प्रगति का पता लगाने के लिए ओपीजेजीयू की तैयारी का मूल्यांकन किया। जबिक, विशेषज्ञ समिति की स्थल दौरा रिपोर्ट 24.07.2020 को अध्यक्ष, ईईसी द्वारा अनुमोदित की गई थी और इसके बाद आयोग द्वारा 09.09.2020 को अपनी बैठक में इस पर अनुमोदन हेत् विचार किया गया था।
- 8. और जबिक, मंत्रालय ने संस्था के साथ यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के विनियम 8.6 के अनुसार 29.10.2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- 9. और जबिक, यूजीसी के विनियमन 17.0 (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017, के अनुसरण में यह संस्था अपने नाम के अंत में 'विश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग नहीं करेगी, लेकिन यह अपने नाम के अंत में कोष्ठक में "उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था" लिख सकेंगे ।
- 10. अब इसलिए, केंद्र सरकार यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ईईसी और यूजीसी की सिफारिशों पर ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को 'उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था' घोषित करती है, जिसे इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से ओ.पी. जिंदल ग्लोबल (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) के रूप में जाना जाएगा।

यह घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- i) यह संस्था 'उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था' घोषित होने पर यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगी और इन विनियम, 2017 के विनियम 11.1 से 11.6 में निर्धारित विषय क्षेत्रों से संबंधित मामलों में सभी यूजीसी विनियमों और आयोग के अन्य दिशानिर्देशों, अधिसूचनाओं और आदेशों से छूट प्राप्त होगी। संस्थान को यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 में दिए गए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेंगे।
- ii) केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी (उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2017 के अनुसार, संस्था को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। तथापि, संस्था को विशिष्ट अध्ययन/ पिरयोजनाओं के लिए आवंटित सरकारी नीधि के उपयोग से मना नहीं किया जाएगा, जिसे वह निष्पादित करे।

- iii) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था को उद्योग या पूर्व छात्रों या अन्य अंशदाताओं से संसाधन जुटाने और इसे किसी प्राधिकारी से अनुमति लिए बिना अपनी कार्यान्वयन योजना के अनुसार उपयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी।
- iv) इस अधिसूचना के जारी होने के बाद उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था की उनकी 15 वर्षीय कार्यनीति योजनाओं के मद्देनजर, अपनी कार्यान्वयन योजनाओं का पालन करने के लिए ईईसी द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी।
- v) यह निगरानी और समीक्षा उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था के लगातार दो वर्षों या 15 वर्षों तक, जो भी पहले हो, प्रतिष्ठित विश्व रैंकिंग में शीर्ष सौ स्थान प्राप्त करने तक जारी रहेगी। वार्षिक समीक्षा का कार्य, प्रत्येक वर्ष जून तक पूरा कर लिया जाएगा।
- vi) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था प्रत्येक वर्ष ईईसी को कार्यान्वयन और कार्यनीति योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति के बारे में समिति द्वारा भी विनिर्धारित रूप में जानकारी प्रदान करेगी।
- vii) उत्कृष्ट समयत विश्वविद्यालय संस्था अपने कार्यान्वयन और कार्यनीति योजनाओं के अनुपालन से संबंधित वार्षिक सूचना की रिपोर्ट स्वयं तैयार करेगी और इसे सार्वजनिक करेगी।
- viii) उत्कर्ष समवत विश्वविद्यालय संस्था, में नियम 4.2.15 के संदर्भ में इस अधिसूचना के जारी होने के पांच वर्षों के भीतर प्रत्यायन प्राप्त करेगी।
- ix) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में गिनी जाती रहेगी और इस अधिसूचना के 5 वर्ष के भीतर यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग इंडेक्स में रैंक प्राप्त करेगी। यह संस्था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क में रैंक प्राप्त करना जारी रखेगी।
- x) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था छात्रों एवं संकाय की शिकायतों और अनुचित व्यवहार के आरोपों से निपटने के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति करेगी। चयनित लोकपाल संस्था या वर्तमान या पिछले प्रबंधन से संबंधित नहीं होना चाहिए और लोकपाल की नियुक्ति से पहले ईईसी की सहमति ली जानी चाहिए। लोकपाल का संपर्क विवरण प्रमुख रूप से परिसर में संस्था की वेबसाइट के होमपेज और विवरण-पुस्तिका में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- xi) उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था की प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी और वित्त वर्ष पूरा होने के 9 महीने के भीतर लेखा परीक्षा रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजी जाएगी।
- xii) यदि उत्कृष्ट समवत विश्वविद्यालय संस्था 5वें वर्ष या इसके बाद के वर्षों के अंत में लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाती और कार्यान्वयन योजना से, जैसा कि ईईसी द्वारा निर्धारित की गई है, काफी अधिक विचलन होता है, तो ईईसी शिक्षा मंत्रालय को इन विनियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने की सिफारिश करेगी।

चन्द्र शेखर कुमार संयुक्त सचिव

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 2020

सं. ई.-11012/1/2019-रा.भा.—राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी संगत दिशानिदेशों के अनुपालन में भारत सरकार ने नागर विमानन मंत्रालय के लिए हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। समिति की सरंचना, कार्य आदि निम्नलिखित होंगे:—

(ক)	गठन	
	नागर विमानन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	अध्यक्ष
(ख)	सरकारी सदस्य (पदेन)	
1	सचिव, नागर विमानन	सदस्य

2	सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
3	संयुक्त सचिव एवं वित सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
4	वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
5	संयुक्त सचिव (एस.के.एम.), नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
6	संयुक्त सचिव (यू), नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
7	संयुक्त सचिव (आर.ए.), नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
8	संयुक्त सचिव (ए.डी) , नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
9	मुख्य वित्त नियंत्रक, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
10	उप महानिदेशक, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
11	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
12	महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय, नई दिल्ली	सदस्य
13	महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली	सदस्य
14	मुख्य आयुक्त रेल संरक्षा, रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ	सदस्य
15	महानिदेशक, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली	सदस्य
16	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
17	अध्यक्ष, भारतीय विमानपतन प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य
18	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस लि., नोएडा	सदस्य
19	निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसतगंज एयरफील्ड, अमेठी	सदस्य
20	अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य
21	कुलपति, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय , फुरसतगंज एयरफील्ड, अमेठी	सदस्य
(ग)	गैर सरकारी सदस्य	
	संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य	
22	श्री राजु बिष्ट, संसद सदस्य, लोक-सभा, मकान नं. 18, रोड नं. 75, पश्चिमी पंजाबी बाग, नई दिल्ली- 26 । ई-मेल : raju_bist@Yahoo.co.uk	सदस्य
23	श्री रविन्द्र श्यामनारायण शुक्ला, संसद सदस्य, लोक-सभा, 28, डुप्लेक्स नॉर्थ एवन्यू, नई दिल्ली -110001 ई-मेल : ravikishanshukla@gmail.com	सदस्य
24	श्री भूपेन्द्र यादव, संसद सदस्य, राज्य- सभा, C- 1/12 ए., पंडारा पार्क, पंडारा रोड, नई दिल्ली-110003 ई-मेल : bhupenderyadav69@gmail.com	सदस्य
25	संसदीय कार्य मंत्रालय से एक और माननीय राज्यसभा सदस्य का नामांकन प्रतीक्षित है। (पूर्व नामित माननीय सदस्य सेवानिवृत्त हो गए हैं)	सदस्य

	,	
	संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य	
26	श्री सुशील कुमार गुप्ता, संसद सदस्य (राज्य-सभा),18, फिरोजशाह रोड,	सदस्य
	नई दिल्ली-110001 ई-मेल : Sushilgupta.gupta@gmail.com	
	अखिल भारतीय स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा नामित सदस्य	
27	श्रीमती कांता कर्दम, संसद सदस्य (राज्य-सभा), फ्लैट नं5, मीना बाग, मौलाना	सदस्य
	आजाद रोड, निर्माण भवन के सामने, नई दिल्ली-110001	
	ई-मेल : Kantakardam27july@gmail.com	
	केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषाद द्वारा नामित सदस्य	
28	श्री पकंज दीवान, महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, टाइप-IV,116,	सदस्य
	लक्ष्मी बाई नगर, नई दिल्ली-110023	
	अखिल भारतीय स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा नामित सदस्य	
29	श्री विभूति मिश्रा, प्रधानमंत्री, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	सदस्य
	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य	
30	श्री संदीप भूतोरिया, लेखक, 1- ए, कैमक कोर्ट, 25 बी, कैमक स्ट्रीट, कोलकाता-700016	सदस्य
31	श्रीमती मेखला दत्ता, पूर्व महाप्रबंधक (राजभाषा), एअर इंडिया लिमिटेड,	सदस्य
	बनयान -२, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बोरियाकलां, रायपुर -492015	
32	श्री प्रेम सिंह, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) (सेवानिवृत्त) फ्लैट नं. 1585 ए, सैक्टर- बी,	सदस्य
	पॉकेट- I, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070	
33	श्री रमेश चन्द्र, अध्यक्ष, हरियाणा हिंदी संस्था, गुरूग्राम, 46/22, गांधी नगर, पटौदी	सदस्य
	रोड, गुरूग्राम, हरियाणा-122001	
	राजभाषा विभाग द्वारा नामित सदस्य	
34	डॉ. योगेंद्र मिश्रा, लोहिया चौक, मुमुक्षु भवन, अस्सी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221005	सदस्य
35	प्रो. आर.एस. सर्रज्, हिंदी प्रोफेसर, स्कूल ऑफ ह्यूमेनीटीज, युनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद,	सदस्य
	गचिबोव्ली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500046	
36	डॉ. ज्ञानेन्द्र कुमार संतोष, सहायक प्रोफेसर, जवाहर लाल नेहरू विध्वविद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
(ঘ)	सदस्य-सचिव (पदेन)	
37	संयुक्त सचिव (ए आर), नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य-सचिव
-		

समिति के कार्य

इस समिति का कार्य, संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम तथा नियम और केन्द्रीय हिन्दी समिति के नीतिगत निर्णयों तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी, राजभाषा हिन्दी से संबंधित अनुदेशों के कार्यान्वयन के बारे में तथा नागर विमानन मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए सलाह देना है।

कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल, सामान्य रूप से समिति के पुनर्गठन सम्बन्धी संकल्प के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष होगा, बशर्ते कि-

- 1. जो संसद सदस्य हैं वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे
- 2. समिति के पदेन (सरकारी) सदस्य, अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही इस समिति के सदस्य रहेंगे।
- 3. यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण स्थान खाली होता है, तो उस स्थान पर नियुक्त नए सदस्य, तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अविध के लिए ही सदस्य होंगे।

यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

गैर सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

मुख्यालय

समिति का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति, समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

अंशुमाली रस्तोगी संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th August, 2020

No. 138-Pres/2020—The President is pleased to award the President's Fire Service Medal for Gallantry to the under mentioned official of Odisha Fire Service:—

Sh. Prakash Kumar Bal Leading Fireman

- 2. Sh. Prakash Kumar Bal, Leading Fireman was working in Odisha Fire Service during the year 2019.
- 3. On 07.09.2019 at 12.35 hours a special service call received at Pallahara Fire Station regarding floating of a person in the river Andhari Nala. Immediately, Fire Service Unit under the command and control of Sh. Laxmikanta Thapa, Station Officer rushed to the spot and found that Sh. Dolgobinda Das trapped in a heavy current water marooned place in the river Andhari Nala. The river was overflowing with high water current. There was every risk of washing away of the victim and the rescuer in the flood water. No one was daring to enter into the river to rescue of victim. Sh. Prakash Kumar Bal, Leading Fireman without caring to his life went to upstream of the river with rescue line and life jacket and swam to the victim across the flood water. However, he failed to reach to the victim due to high current water and remained floated to the branch of a submerged tree. After taking rest, he again swamandreached to the victim. He consoled the victim and facilitates to wear the life jacket. He along with the victim swam in the high current water and saved the victim.
- 4. Sh. Prakash Kumar Bal, Leading Fireman thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.
- 5. These awards are made for gallantry under Rule 3 (i) of the Rules governing the award of President's Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5 (a) w.e.f. 07.09.2019.

JAGANNATH SRINIVASAN Officer on Special Duty

No. 139-Pres/2020—The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Mumbai Fire Brigade, Maharashtra Fire Services:—

- Sh. Yeshwant Ramchandra Jadhav Deputy Chief Fire Officer
- 2. Sh. Umesh Gopalrao Palande Senior Station Officer
- 3. Sh. Tukaram Maruti Patil Leading Fireman
- 4. Sh. Satish Shivaji Shingade Fireman
- 2. Sh. Yeshwant Ramchandra Jadhav, Deputy Chief Fire Officer, Sh. Umesh Gopalrao Palande, Senior Station Officer, Sh. Tukaram Maruti Patil, Leading Fireman and Sh. Satish Shivaji Shingade, Fireman were working in Mumbai Fire Brigade during the year 2019.
- 3. On 16.07.2019 at 11.41 hours a call received about the collapse of Building No. 25C, Kesarbai Building, Tandel Street Cross Lane, M.A. Sarang Marg, Dongari, Mumbai trapping 40 to 45 inmates under the debris including pedestrians. Immediately, Fire & Rescue team from various fire stations rushed to the spot and found that the entire West side portion of the Building had collapsed converting the structure into a heap of 20 feet high debris. The rescue team without caring to their live started the rescue operation and rescued 08 Males, 07 Females and 03 Children from debris.
- 4. Second shift crew started Search & Rescue Operation at 23.45 hrs under the leadership of Sh. Y.R. Jadhav, Deputy Chief Fire Officer and found one moreperson under the main girder. The team started rescue operation from the surface keeping the close vigil and communication through the cavity. Sh. U.G. Palande, Senior Station Officer, Sh.Tukaram Maruti Patil, Leading Fireman and Sh. Satish Shingade, Fireman under the close leadership of Sh. Y.R. Jadhav, Deputy Chief Fire Officer started digging the void and removed the major portion of the debris with bare hands and fireman axe without caring to their live due to falling of debris from adjacent area. They saw fingers of trapped lady. Rescuers caught hold of her fingers and she reciprocated and told that her two kids are also trapped nearby. Crew started removing the rubbles from near and around her with the help of chisel tools and crowbar. After removing debris they saw heads of both the kids. The efforts were made and two kids were removed from the debris and sent to J.J. Hospital.
- 5. The removal of two kids created a bigger cavity enabling them to see the upper portion of the body. She told that her both legs are trapped under the long girder. Her body was in between the sidewall and concrete slab. The slab was broken down slowly by ball point hammer and chisel tools making space for her. After digging and removing the debris from the front side they removed the trapped legs. Onsite doctor examined her. The lady was rescued after one hour and sent to J.J. Hospital.

- 6. Sh. Yeshwant Ramchandra Jadhav, Deputy Chief Fire Officer, Sh. Umesh Gopalrao Palande, Senior Station Officer, Sh. Tukaram Maruti Patil, Leading Fireman and Sh. Satish Shivaji Shingade, Fireman thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, leadership, professional expertise and devotion to duty of a very high order.
- 7. These awards are made for gallantry under Rule 3 (i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5 (a) w.e.f. 16.07.2019.

No. 140-Pres/2020—The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Fire Services :—

- 1. Sh. Jitendra Kumar Fire Station Officer
- Sh. Sushil Kumar (1st Bar to Fire Service Medal for Gallantry)
 Fire Station Officer
- 3. Sh. Shrinarayan Singh Fire Station Officer
- 4. Sh. Rajesh Kumar Pandey Leading Fireman
- 5. Sh. Durga Prasad Yadav Fireman
- 6. Sh. Jumed Ahmed Fireman
- 2. Sh. Jitendra Kumar, Sh. Sushil Kumar & Sh. Shrinarayan Singh, Fire Station Officer Sh. Rajesh Kumar Pandey, Leading Fireman and Sh. Durga Prasad Yadav & Sh. Jumed Ahmed, Fireman were working in Uttar Pradesh Fire Services during the year 2017.
- 3. On 15.07.2017 at 17.20 hours a call received about fire at Trauma Centre, King George Medical university, Lucknow, U.P. Immediately Shri Jitendra Kumar, Fire Station Officer along with the crew and fire tenders rushed to the spot and found fire at 2nd floor engulfing upper floors of Trauma Centre trapping hospital staffs, patients and their family members. Immediately, after wearing fire proximity suit they started firefighting operation. In the meantime Sh.Abhay Bhan Pandey Chief Fire Officer, Sh. Sushil Kumar Fire Station Officer and Sh.Shrinarayan Singh Fire Station Officer, along with additional Fire Tenders also reached to the spot. After assessing degree of risk involved in firefighting and rescue operation, officer in charge directed the team to throw continuously heavy shower of water from all sides to extinguish the fire and also install Hydraulic Platform on the back side of the building to rescue the victims. Sh. Jitendra Kumar, Sh. Sushil Kumar & Sh. Shrinarayan Singh Fire Station Officer Sh. Rajesh Kumar Pandey, Leading Fireman Sh. Durga Prasad Yadav & Sh. Jumed Ahmed, Fireman with dragon light fearlessly went up of the building with determination to rescue the trapped persons without caring to their live. They fearlessly & boldly moved inside fire-engulfed 2nd floor. The crew consoled manyfrightened patients and rescued them on shoulders with the assistance of Doctors and health attendants. Again they moved up and fearlessly rescued 12 in-patients from Neuro Surgery, Trauma & T.V. critical wards from 3rd Floor and 08 children in-patients from N.I.C.U. & Pediatrics Emergency Ward from 4th floor. The crew members putting their lives in danger, during adverse situationrescued 254 patients, including old man, woman, and infants admitted in various critical wards.
- 4. Sh. Jitendra Kumar, Sh. Sushil Kumar & Sh. Shrinarayan Singh, Fire Station Officer, Sh. Rajesh Kumar Pandey, Leading Fireman and Sh. Durga Prasad Yadav & Sh. Jumed Ahmed, Fireman thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, leadership, professional expertise and devotion to duty of a very high order.
- 5. These awards are made for gallantry under Rule 3 (i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5 (a) w.e.f. 15.07.2017.

JAGANNATH SRINIVASAN Officer on Special Duty

No. 141-Pres/2020—The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the under mentioned Fire officials of Oil India Limited, Ministry of Petroleum & Natural Gas:—

- Late Sh. Tikheswar Gohain (Posthumous)
 Asst. Operator—IV (FS)
- 2. Late Sh. Durlov Gogoi (Posthumous) Asst. Operator—I (FS)
- 2. Late Sh. Tikheswar Gohain, Assistant Operator IV and Late Sh. Durlov Gogoi, Assistant Operator—I were working in Fire Section of Oil India Limited, Duliajan, Assam during the year 2020.
- 3. On dated 27.05.2020 at around 10.30 hours a blowout had occurred in gas well Baghjan#5 of Oil India Limited at Baghjan, Distt. Tinsukia, Assam resulting in uncontrolled flow of Gas and Condensate in the atmosphere.Immediately Fire Service teams from Oil India Ltd. and other mutual aid partners responded to the emergency and started spraying of water from all directions to disperse the formation of any explosive mixture in and around the wellhead area and keep the wellhead area cool to avoid any fire incident. Additional team from ONGCL CMT, Sivasagar and Vadodara were also pressed into service. International experts M/s. ALERT also arrived on 07.06.2020 on the spot. They examined the various possible options for controlling the blowout. The crew members of Fire Service Sh.Tikheswar Gohain, Assistant Operator IV and Sh. Durlov Gogoi, Assistant Operator—I were fully aware about the formation of any explosive mixture in and around the blow out area. However, without caring to risk to their live they continue the water spraying operation even during the bad weather condition. Unfortunately, the Blowout well caught fire at 13.15 hourson 09.06.2020. The Fire Service personnel at site came into action to control the fire and evacuate the men and materials from the site. Due to high intensity of fire Sh. Tikheswar Gohain, Assistant Operator IV and Sh. Durlov Gogoi, Assistant Operator—I jumped into adjacent water body. However, they drowned in the water and their bodies were retrieved by the NDRF team on 10.06.20 at 08.45 a.m.
- 4. Late Sh. Tikheswar Gohain, Fire Service Assistant Operator IV and Late Sh. Durlov Gogoi, Fire Service Assistant Operator—I thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.
- 5. These awards are made for gallantry under Rule 3 (i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5 (a) w.e.f. 09.06.2020.

No. 142-Pres/2020—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2020 to award the President's Fire Service Medal for Distinguished Service to the under mentioned officers:—

- SH. KARAMTHOT JAYARAM NAIK DIRECTOR OF FIRE SERVICES ANDHRA PRADESH
- 2. SH. BAIJU PANICKER P R ASST. STATION OFFICER KERALA
- 3. SH. SIVAKUMAR V. SR. FIRE & RESCUE OFFICER KERALA
- 4. SH. LALREMTLUANGA VARTE STATION OFFICER MLIZORAM
- 5. SH. SURENDRANATH GADAPALA STATION OFFICER ODISHA
- 6. SH. MANOJ KUMAR SAHU STATION OFFICER ODISHA
- 7. SH. NITAI CHATTOPADHYAY DIVISIONAL FIRE OFFICER WEST BENGAL
- 8. SH. RAM NIWAS ASST. SUB-INSPECTOR/FIRE C.I.S.F., MHA
- 9. SH. UTTAR KANWAR SHARMA ASST. SUB-INSPECTOR/FIRE C.I.S.F., MHA

- 10. SH. SOUMITRA BHATTACHARYA GENERAL MANAGER (FS) ONGC, M/O PET. & NATURAL GAS
- 11. SH. SANJEEV KAPOOR GENERAL MANAGER (FS) ONGC, M/O PET. & NATURAL GAS
- 2. These awards are made under Rule 3 (ii) of the rules governing the award of President's Fire Service Medal for Distinguished Service.

No.143-Pres/2020—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2020 to award the Fire Service Medal for Meritorious Service to the under mentioned officers:—

- SH. MANCHALA BHUPAL REDDY DISTRICT FIRE OFFICER ANDHRA PRADESH
- SH. VUTAKURISRINIVASA REDDY DISTRICT FIRE OFFICER ANDHRA PRADESH
- 3. SH. BODA SINGI GOLLADU LEADING FIREMAN ANDHRA PRADESH
- 4. SH. SUBHASH CHAND SUB FIRE OFFICER HIMACHAL PRADESH
- 5. SH. RAJENDER SEN SUB FIRE OFFICER HIMACHAL PRADESH
- 6. SH. MADURE GOVINDA SETTY VIJAYA KUMAR REGIONAL FIRE OFFICER KARNATAKA
- 7. SH. KASHI HEGADE DODDAIAH DISTRICT FIRE OFFICER KARNATAKA
- 8. SH. NARASIMHAMURTHY DISTRICT FIRE OFFICER KARNATAKA
- 9. SH. K. M. RANGASWAMY FIRE STATION OFFICER KARNATAKA
- 10. SH. CHANDRAKANTH GANAPATI ASST. FIRE STATION OFFICER KARNATAKA
- 11. SH. KRISHNAPPA SINGARIKODI FIREMAN KARNATAKA
- 12. SH. PRADEEP KUMAR C.A. ASST. STATION OFFICER KERALA
- 13. SH. NIZAR A.R. SR. FIRE & RESCUE OFFICER KERALA

- 14. SH. MUHAMMED KUTTY K. FIRE & RESCUE OFFICER KERALA
- 15. SH. DEEPAK KHARSHIING LEADING FIREMAN MEGHALAYA
- 16. SH. KYRSHANBORLANG LYNGDOH FIREMAN MEGHALAYA
- 17. SH. HMINGTHANZAMA KAWLNI FIREMAN MIZORAM
- 18. SH. RAMESH CHANDRA MAJHI DEPUTY FIRE OFFICER ODISHA
- 19. SH. ASHOK KUMAR SATAPATHY STATION OFFICER ODISHA
- 20. SH. NIRANJAN PATTNAIK STATION OFFICER ODISHA
- 21. SH. BENUDHAR BEHERA LEADING FIREMAN ODISHA
- 22. SH. KAKARLA NARASINGHA RAO LEADING FIREMAN ODISHA
- 23. SH. DHIRENDRANATH JENA DRIVER HAVILDAR ODISHA
- 24. SH. MURUGAIYAN CHINNAIAH STATION OFFICER TAMIL NADU
- 25. SH. EDWARD CALWIN BARTHOLOAM DRIVER MECHANIC TAMIL NADU
- 26. SH. SUNDARRAJAN VEERAVASANTHALU FIREMAN DRIVER TAMIL NADU
- 27. SH. VENKANNA THAGARAM DISTRICT FIRE OFFICER TELANGANA
- 28. SH. UPPALAIAH MANTRI DRIVER OPERATOR TELANGANA
- 29. SH. NAKUL DEBBARMA LEADING FIREMAN TRIPURA
- 30. SH. BHABESH CHAKRABORTY FIREMAN TRIPURA
- 31. SH. VANSH NARAYAN YADAV FIRE STATION SECOND OFFICER UTTARAKHAND

- 32. SH. KHAJAN SINGH TOMAR LEADING FIREMAN UTTARAKHAND
- 33. SH. DEBTANU BASU DIVISIONAL FIRE OFFICER WEST BENGAL
- 34. SH. RANJAN KUMAR GHOSH STATION OFFICER WEST BENGAL
- 35. SH. RAJIB CHANDRA PAUL LEADER WEST BENGAL
- 36. SH. GOPAL GHOSH FIRE ENGINE OPERATOR CUM DRIVER WEST BENGAL
- 37. SH. UJJAL KUMAR CHAKRABORTY FIRE OPERATOR WEST BENGAL
- 38. SH. PANCHAM SINGH PAYAL ASST. COMNDT/FIRE C.I.S.F., MHA
- 39. SH. MAHENDRA SINGH KANDARI INSPECTOR/FIRE C.I.S.F., MHA
- 40. SH. BHURI SINGH ASST. SUB-INSPECTOR/FIRE C.I.S.F., MHA
- 41. SH. HARA KANTA NATH HEAD CONSTABLE/FIRE C.I.S.F., MHA
- 42. SH. PAWAN KUMAR DY. GENERAL MANAGER (FS) ONGC, M/O PET. & NATURAL GAS
- 43. SH. YUSUF KASAM MUSA UNIA CHIEF FIREMAN ONGC, M/O PET. & NATURAL GAS
- 44. SH. NITIN GANPAT GANDHI CHIEF FIREMAN ONGC, M/O PET. & NATURAL GAS
- 45. SH. RAMDAS MARUTI GAWALI ASST. DIVISIONAL FIRE OFFICER INS SHIVAJI, M/O DEFENCE
- 46. SH. PREM BALLABH BHATT LEADING FIREMAN INS SHIVAJI, M/O DEFENCE
- 2. These awards are made under Rule 3 (ii) of the rules governing the award of Fire Service Medal for Meritorious Service.

No. 144-Pres/2020—The President is pleased to award the Home Guards and Civil Defence Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Karnataka Civil Defence & Home Guards Department:—

Sh. P. R. S. Chetan Addl. Chief Officer Commanding Sh. Gowtham Hebbur Gurumurthy Deputy Divisional Warden

Sh. Nagaraju P Home Guard

- 2. Sh. P. R. S. Chetan, Addl Chief Officer Commanding, Sh Gowtham Hebbur Gurumurthy, Deputy Divisional Warden and Sh Nagaraju P Home Guards were working in Karnataka Civil Defence & Home Guards Department during the year 2019.
- 3. On August 12th 2019 morning, 2.70 lakh cusec water was released from a TB reservoir by which the Tungabhadra River was inundated. Over 360 tourists including foreign nationals were stranded across the overflowing river at Virupapura Gadde in Gangavathi Taluk of Koppal District. After receiving the information Shri Chetan along with Sh. Gowtham & Sh. Nagaraju with crew members rushed to Koppal district and started rescue operations.
- 4. Sh. Chetan along with Sh. Gowtham and Sh. Nagaraju and without caring to safety to their life took up the challenge of rescuing people stranded across the overflowing river well known for turbulence, killer rocks, whirlpools & crocodiles. The rescue team took multiple sorties using Rubber Boat with OBM, which was one of the most risky operations, but was inevitable to save lives. Under tough and challenging condition the rescue team took the lead by crossing the river across overflowing Tunghabhadra and saved several precious lives. The crew under the command of Sh Chetan continued rescue operation in the most difficult terrains for over one week, each lasted beyond 16-18 hours. At the end of the one week long grueling rescue operations, the team achieved great results by saving 286 precious lives and innumerable cattle's successfully.
- 5. The crew once again started rescue operation but their boat capsized in the middle of the Tunghbhadra river due to high under current and all rescuers were washed away in overflowing river. Ultimately after four hours of battle for life, Sh Chetan swam a record 13 Kms to safety. Shri Gowtham washed away nearly 3-4 Kms and was holding the branch for nearly 3 Hrs airlifted by IAF Chopper. Shri Nagaraju washed away nearly 5 Kms and was moved to the shore holding the tree and rescued by the villagers. Their presence of mind, personal motivation and physical fitness had driven them to overcome the risk of life.
- 6. Sh P.R.S Chetan, Addl Chief Officer Commanding, Sh Gowtham Hebbur Gurumurthy, Deputy Divisional Warden and Sh Nagaraju P Home Guards thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.
- 7. These awards are made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Home Gaurds and Civil Defence Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under Rule 5 w.e.f. 12/08/2019.

JAGANNATH SRINIVASAN Officer on Special Duty

No. 145-Pres/2020—The President is pleased to award the Home Guards and Civil Defence Medal for Gallantry to the under mentioned official of Rajasthan Civil Defence:—

- Sh. Mahendra Kumar Sevada CD Volunteer
- 2. Sh. Mahendra Kumar Sevada, CD Volunteer was working in Rajasthan Civil Defence during the year 2020.
- 3. On 12/04/2020 at about 06.00 am a message received from Police Control Room that one person fell into 125 feet deep old damaged well in Kerla ki Dhani, Village & Post—Tan Nimdiya, Tahsil—Jamuwaramgarh, District-Jaipur. Shri Mahendra Kumar Sevada, immediately rushed with quick response team and found that one person is trapped in the well. Sh Sevada, without caring his own life, immediately put on the full body harness and started entering down in the well with the help of rescue rope without caring to risk of life due to the presence of Poisonous Gases. On reaching the bottom of the well, he observed that the casualty was severely injured but conscious. Shri Sevada immediately gave him the first aid and rescued him safely. During the operation, he continued talking to the casualty to maintain his hope and morale.
- 4. Sh. Mahendra Kumar Sevada, CD Volunteer thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.
- 5. These awards are made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Home Guards and Civil Defence Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under Rule 5 w.e.f. 12/04/2020.

No. 146-Pres/2020—The President is pleased to award the President's Home Guards and Civil Defence Medal for Distinguished Service to the under mentioned officials of Home Guards & Civil Defence:—

- Sh. Bhoj Pal Verma Senior Staff Officer Madhya Pradesh
- Sh. Karan Singh Thakur District Commandant Madhya Pradesh
- 3. Sh. Ganesh Barik CD Volunteer Odisha
- 4. Sh. Harmanjeet Singh
 Deputy Commandant General
 Punjab
- 5. Sh. Indra Mal Bunker Deputy Controller Rajasthan
- 6. Sh. Sandeep Satya Prakash Sharma Deputy Commandant General Rajasthan
- 7. Sh. Ram Singh Harsana Deputy Commandant Rajasthan
- 2. These awards are made under Rule 3 (ii) of the rules governing the award of President's Home Guards & Civil Defence Medal for Distinguished Service.

JAGANNATH SRINIVASAN Officer on Special Duty

No. 147-Pres/2020—The President is pleased to award the Home Guards and Civil Defence Medal for Meritorious to the under mentioned officials of Home Guards & Civil Defence:—

- 1. Sh. Arun Kumar Borah Subedar
 - Assam
- 2. Sh. Kamaleswar Sarmah Store Supdt.
 - Assam
- Sh. Prafulla Chandra Deka Platoon Commander Assam
- 4. Sh. Ranjit Mazumder Naik

Assam

- 5. Sh. Jagdish Chand Company Commander Himachal Pradesh
- 6. Sh. Rajeev Katoch Section Leader Himachal Pradesh
- 7. Sh. Imamali Bashasab Hungund Platoon Commander & Unit Officer Karnataka

- 8. Sh. Varadaraj Kulkarni Platoon Commander/Unit Officer Karnataka
- 9. Sh. Anthony Simon Lucas Divisional Warden Karnataka
- Ms. Usha Damar Divisional Commandant Madhya Pradesh
- 11. Sh. Bharat Singh Hari Sub-Inspector (M) Madhya Pradesh
- 12. Sh. Showell Markhap Sub-Inspector Meghalaya
- 13. Sh. Rajesh G. Momin Havildar Instructor Meghalaya
- Smt. Gita Rani Behera Home Guard Odisha
- Sh. Arun Kumar Sahu Home Guard Odisha
- Sh. Pradeep Kumar Dash Home Guard Odisha
- Sh. Bishnu Charan Bhujabala Platoon Commander Odisha
- Sh. Gurinder Pal Singh JSO Punjab
- Sh. Rajinder Krishan District Commander Punjab
- Smt. Sukhnandan Kaur Senior Assistant Punjab
- 22. Sh. Nirmal Singh Platoon Commander Punjab
- 23. Sh. Gurcharan Singh Chief Warden Punjab
- 24. Sh. Rachhpal Singh Platoon Commander Punjab
- Sh. Bhawani Shanker Sharma Divisional Warden Rajasthan

- Sh. Virendra Singh Rathore Company Commander Rajasthan
- 27. Sh. Shiv Dayal Company Commander Rajasthan
- 28. Sh. Brijesh Kumar HPC Rajasthan
- Sh. Palani Manickavelu
 Assistant Commandant General
 Tamil Nadu
- 30. Sh. Senniappan Murugesan Company Commander Tamil Nadu
- 31. Sh. Sridam Mahajan Home Guard Volunteer Tripura
- 32. Sh. Jakir Hossien Home Guard Volunteer Tripura
- 2. These awards are made under Rule 3 (ii) of the rules governing the award of President's Home Guards & Civil Defence Medal for Meritorious Service.

MINISTRY OF EDUCATION (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-01, the 14th October 2020

No. 11-9/2019-U.3(A)Pt.—Whereas, the University Grants Commission (UGC) had issued the UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017 for every existing or proposed institution, not owned or controlled by Government, seeking for the status of 'Institutions of Eminence'.

- 2. And whereas, Birla Institute of Technology and Science (hereinafter refrered as "BITS", Pilani, Rajasthan submitted its application on 09.12.2017 for conferment of 'Institution of Eminence Deemed to be University' status.
- 3. And further whereas, the application was forwarded to UGC for entrusting it to Empowered Expert Committee (EEC) constituted for the purpose. The EEC conducted its appraisal based on the documents submitted by the Institution as well as the presentations made by it on 05.04.2018 before EEC.
- 4. And whereas, the EEC, and, after overall assessment, recommended the name of BITS to be conferred with the status of Institution of Eminence Deemed to be University as per UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017. The report of Empowered Expert Committee was considered and approved by the UGC in its 533rd meeting held on 09.07.2018.
- 5. And further whereas, the Ministry of Education, on the recommendation of UGC and EEC, issued Letter of Intent on 20.09.2018 identifying the name of BITS under the scheme of Institutions of Eminence.
- 6. Whereas, as per clause 6.4 (g) of UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017, BITS indicated its' readiness for commencing academic operations vide its letter No. BITS/MHRD/IoE/Dec dated 22.12.2018 as per the plans.
- 7. Whereas, as per clause 6.4 (h) of UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017,the EEC conducted the assessment of readiness of BITS through an Expert Committee appointed by EEC on 27-28th January, 2020 to ascertain whether the progress made by BITS is commensurate with the time stipulated in the letter of intent for commencing academic operations. Whereas, the Spot Visit Report of the Expert Committee was approved by the Chairman, EEC on 20.03.2020 and subsequently considered and approved by the Commission in its' meeting on 14.05.2020.
- 8. And whereas, the Ministry signed the MoU with the institution on 01.10.2020 pursuant to regulation 8.6 of UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.

- 9. Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the recommendations of EEC & UGC, hereby declare BITS as an 'Institution of Eminence Deemed to be University' with effect from the issuance of this Notification. This declaration is subject to the following conditions:
 - i. The Institution will be, on declaration of being an 'Institution of Eminence Deemed to be University', governed by the provisions of UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017 and shall be exempt from all UGC Regulations and other guidelines, notifications and orders of the Commission on matters pertaining to the subject area laid down in Regulation 11.1 to 11.6 of these Regulations, 2017. The Institution will get the additional incentives given in UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.
 - ii. No financial assistance by the Central Government will be provided to the institution as per UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017. However, this would not exclude the institution for accessing Government funds allocated for specific studies/ projects which it may execute.
 - iii. The Institution of Eminence Deemed to be University would have the full freedom to mobilize resources from the industry or alumni or other donors and utilize it in accordance with its implementation plan without having to seek any permission from any authority.
 - iv. Institution of Eminence Deemed to be Universityshall be reviewed by the EEC regularly after issuance of this Notification for adherence to its implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans.
 - v. The monitoring and review shall continue till the Institution of Eminence Deemed to be University gets into top hundred in a world ranking of repute for two consecutive years or till fifteen years, whichever is earlier. The annual review exercise shall be completed by June each year.
 - vi. The Institution of Eminence Deemed to be University shall inform the EEC every year on the progress made in realizing the goals laid out in the implementation and strategic plans in a manner so prescribed by the Committee.
 - vii. The Institution of Eminence Deemed to be University shall annually self-report and publicly display the information relating to compliance with their implementation and strategic plans.
 - viii. Institution of Eminence Deemed to be University shall get accreditation within five years of the Notification in terms of Regulation 4.2.15.
 - ix. Institution of Eminence Deemed to be University shall continue to be ranked in the National Institutional Ranking Framework and within five years of Notification, shall get itself ranked in an International Ranking index of repute. The Institution shall continue to be ranked in the National and International ranking frameworks.
 - x. Institution of Eminence Deemed to be University shall appoint an ombudsman to deal with grievances of students and faculty and allegations of unfair practice. The ombudsman selected should be independent of the institution or the management now or in the recent past and concurrence of the EEC shall be taken before appointment of the ombudsman. The contact details of the ombudsman shall be displayed prominently in the campus, on the homepage of the Institutions' website and in the prospectus.
 - xi. Institution of Eminence Deemed to be University shall be audited every year by a chartered accountant and the audit report shall be sent to the University Grants Commission within nine months of the completion of the financial year.
 - xii. If the Institution of Eminence Deemed to be University is unable to meet the goals at the end of the fifth and subsequent years, and there are grave deviations, as determined by the EEC, from the implementation plan, the EEC will recommend to the Ministry of Education for taking appropriate actions as per these Regulations.

CHANDRA SHEKHAR KUMAR
Joint Secretary

No.11-9/2019-U.3(A)Pt.—Whereas, the University Grants Commission (UGC) had issued the UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017 for every existing or proposed institution, not owned or controlled by Government, seeking for the status of 'Institutions of Eminence'.

- 2. And whereas, Manipal Academy of Higher Education (hereinafter referred as "MAHE") Manipal Karnataka submitted its application on 08.12.2017 for conferment of 'Institution of Eminence Deemed to be University' status.
- 3. And further whereas, the application was forwarded to UGC for entrusting it to Empowered Expert Committee (EEC) constituted for the purpose. The EEC conducted its appraisal based on the documents submitted by the Institution as well as the presentations made by it on 05.04.2018 before EEC.

- 4. And whereas, the EEC, and, after overall assessment, recommended the name of MAHE to be conferred with the status of Institution of Eminence Deemed to be University as per UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017. The report of Empowered Expert Committee was considered and approved by the UGC in its 533rd meeting held on 09.07.2018.
- 5. And further whereas, the Ministry of Education, on the recommendation of UGC and EEC, issued Letter of Intent on 23.07.2018 identifying the name of MAHE under the scheme of Institutions of Eminence.
- 6. Whereas, as per clause 6.4 (g) of UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017, MAHE indicated its' readiness for commencing academic operations vide its letter No. MAHE/DU-IOE/2018 dated 28.08.2018 as per the plans.
- 7. Whereas, as per clause 6.4 (h) of UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017, the EEC conducted the assessment of readiness of BITS through an Expert Committee appointed by EEC on 16-17th December 2019, to ascertain whether the progress made by MAHE is commensurate with the time stipulated in the letter of intent for commencing academic operations. Whereas, the Spot Visit Report of the Expert Committee was approved by the Chairman, EEC on 20.03.2020 and subsequently considered and approved by the Commission in its' meeting on 14.05.2020.
- 8. And whereas, the Ministry signed the MoU with the institution on 09.10.2020 pursuant to regulation 8.6 of UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.
- 9. Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the recommendations of EEC & UGC, hereby declare MAHE as an 'Institution of Eminence Deemed to be University' with effect from the issuance of this Notification. This declaration is subject to the following conditions:
 - i. The Institution will be, on declaration of being an 'Institution of Eminence Deemed to be University', governed by the provisions of UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017 and shall be exempt from all UGC Regulations and other guidelines, notifications and orders of the Commission on matters pertaining to the subject area laid down in Regulation 11.1 to 11.6 of these Regulations, 2017. The Institution will get the additional incentives given in UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.
 - ii. No financial assistance by the Central Government will be provided to the institution as per UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017. However, this would not exclude the institution for accessing Government funds allocated for specific studies/ projects which it may execute.
 - iii. The Institution of Eminence Deemed to be University would have the full freedom to mobilize resources from the industry or alumni or other donors and utilize it in accordance with its implementation plan without having to seek any permission from any authority.
 - iv. Institution of Eminence Deemed to be University shall be reviewed by the EEC regularly after issuance of this Notification for adherence to its implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans.
 - v. The monitoring and review shall continue till the Institution of Eminence Deemed to be University gets into top hundred in a world ranking of repute for two consecutive years or till fifteen years, whichever is earlier. The annual review exercise shall be completed by June each year.
 - vi. The Institution of Eminence Deemed to be University shall inform the EEC every year on the progress made in realizing the goals laid out in the implementation and strategic plans in a manner so prescribed by the Committee.
 - vii. The Institution of Eminence Deemed to be University shall annually self-report and publicly display the information relating to compliance with their implementation and strategic plans.
 - viii. Institution of Eminence Deemed to be University shall get accreditation within five years of the Notification in terms of Regulation 4.2.15.
 - ix. Institution of Eminence Deemed to be University shall continue to be ranked in the National Institutional Ranking Framework and within five years of Notification, shall get itself ranked in an International Ranking index of repute. The Institution shall continue to be ranked in the National and International ranking frameworks.
 - x. Institution of Eminence Deemed to be University shall appoint an ombudsman to deal with grievances of students and faculty and allegations of unfair practice. The ombudsman selected should be independent of the institution or the management now or in the recent past and concurrence of the EEC shall be taken before appointment of the ombudsman. The contact details of the ombudsman shall be displayed prominently in the campus, on the homepage of the Institutions' website and in the prospectus.

- xi. Institution of Eminence Deemed to be University shall be audited every year by a chartered accountant and the audit report shall be sent to the University Grants Commission within nine months of the completion of the financial year.
- xii. If the Institution of Eminence Deemed to be University is unable to meet the goals at the end of the fifth and subsequent years, and there are grave deviations, as determined by the EEC, from the implementation plan, the EEC will recommend to the Ministry of Education for taking appropriate actions as per these Regulations.

CHANDRA SHEKHAR KUMAR
Joint Secretary

The 4th November 2020

No. 11-9/2019-U.3(A)Pt.—Whereas, the University Grants Commission (UGC) had issued the UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017 for every existing or proposed institution, not owned or controlled by Government, seeking for the status of 'Institutions of Eminence'.

- 2. And whereas, O.P. Jindal Global University (hereinafter referred as "OPJGU"), Sonipat, Haryana submitted its application on 08.12.2017 for conferment of 'Institution of Eminence Deemed to be University' status.
- 3. And further whereas, the application was forwarded to UGC for entrusting it to Empowered Expert Committee (EEC) constituted for the purpose. The EEC conducted its appraisal on based on the documents submitted by the Institution as well as the presentations made by it on 05.04.2018 before EEC.
- 4. And whereas, the EEC, and, after overall assessment, recommended the name of OPJGU to be conferred with the status of Institution of Eminence Deemed to be University as per UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017. The report of Empowered Expert Committee was considered and approved by the UGC in its 542th meeting held on 02.08.2019.
- 5. And further whereas, the Ministry of Education, on the recommendation of UGC and EEC, issued Letter of Intent on 16.09.2019 identifying the name of OPJGU under the scheme of Institutions of Eminence.
- 6. Whereas, as per clause 6.4 (g) of UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017, OPJGU indicated its' readiness for commencing academic operations vide its letter dated 20.12.2019 as per the plans.
- 7. Whereas, as per clause 6.4 (h) of UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017, the EEC conducted the assessment of readiness of OPJGU through an Expert Committee appointed by EEC on 25-26th June, 2020 to ascertain whether the progress made by OPJGU is commensurate with the time stipulated in the letter of intent for commencing academic operations. Whereas, the Spot Visit Report of the Expert Committee was approved by the Chairman, EEC on 24.07.2020 and subsequently considered and approved by the Commission in its' meeting on 09.09.2020.
- 8. And whereas, the Ministry signed the MoU with the institution on 29.10.2020 pursuant to regulation 8.6 of UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.
- 9. And whereas, pursuant to regulation 17.0 of UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017, the Institution shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the words "Institution of Eminence Deemed to be University" within parenthesis suffixed thereto.
- 10. Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGCAct, 1956, the Central Government, on the recommendations of EEC & UGC, hereby declare O.P. Jindal Global University as an 'Institution of Eminence Deemed to be University' which shall be known as O.P. Jindal Global (Institution of Eminence Deemed to be University) with effect from the date issuance of this Notification.

This declaration is subject to the following conditions:

- i. The Institution will be, on declaration of being an 'Institution of Eminence Deemed to be University', governed by the provisions of UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017 and shall be exempt from all UGC Regulations and other guidelines, notifications and orders of the Commission on matters pertaining to the subject area laid down in Regulation 11.1 to 11.6 of these Regulations, 2017. The Institution will get the additional incentives given in UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.
- ii. No financial assistance by the Central Government will be provided to the institution as per UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017. However, this would not exclude the institution for accessing Government funds allocated for specific studies/ projects which it may execute.

- iii. The Institution of Eminence Deemed to be University would have the full freedom to mobilize resources from the industry or alumni or other donors and utilize it in accordance with its implementation plan without having to seek any permission from any authority.
- iv. Institution of Eminence Deemed to be University shall be reviewed by the EEC regularly after issuance of this Notification for adherence to its implementation plans, keeping in view their fifteen year strategic plans.
- v. The monitoring and review shall continue till the Institution of Eminence Deemed to be University gets into top hundred in a world ranking of repute for two consecutive years or till fifteen years, whichever is earlier. The annual review exercise shall be completed by June each year.
- vi. The Institution of Eminence Deemed to be University shall inform the EEC every year on the progress made in realizing the goals laid out in the implementation and strategic plans in a manner so prescribed by the Committee.
- vii. The Institution of Eminence Deemed to be University shall annually self-report and publicly display the information relating to compliance with their implementation and strategic plans.
- viii. Institution of Eminence Deemed to be University shall get accreditation within five years of the Notification in terms of Regulation 4.2.15.
- ix. Institution of Eminence Deemed to be University shall continue to be ranked in the National Institutional Ranking Framework and within five years of Notification, shall get itself ranked in an International Ranking index of repute. The Institution shall continue to be ranked in the National and International ranking frameworks.
- x. Institution of Eminence Deemed to be University shall appoint an ombudsman to deal with grievances of students and faculty and allegations of unfair practice. The ombudsman selected should be independent of the institution or the management now or in the recent past and concurrence of the EEC shall be taken before appointment of the ombudsman. The contact details of the ombudsman shall be displayed prominently in the campus, on the homepage of the Institutions' website and in the prospectus.
- xi. Institution of Eminence Deemed to be University shall be audited every year by a chartered accountant and the audit report shall be sent to the University Grants Commission within nine months of the completion of the financial year.
- xii. If the Institution of Eminence Deemed to be University is unable to meet the goals at the end of the fifth and subsequent years, and there are grave deviations, as determined by the EEC, from the implementation plan, the EEC will recommend to the Ministry of Education for taking appropriate actions as per these Regulations.

CHANDRA SHEKHAR KUMAR Joint Secretary

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 16th November 2020

RESOLUTION

No. E.11012/1/2019-OL—In compliance with the relevant guidelines issued by the Department of Official Language, The Government of India has decided to reconstitute the Hindi Salahakar Samiti for the Ministry of Civil Aviation. The composition of the Samiti and its functions etc. will be as under:—

(A) Composition

Minister of State for Civil Aviation (Independent Charge)

Chairman

(B) OFFICIAL MEMBERS (Ex-officio)

1 Secretary, Civil Aviation

Member

2 Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs

Member

3 Additional Secretary and Financial Advisor, Ministry of Civil Aviation

Member

4 Senior Economic Advisor, Ministry of Civil Aviation

Member

5 Joint Secretary (SKM), Ministry of Civil Aviation

Member

6 Joint Secretary (U), Ministry of Civil Aviation

Member

80	THE GAZETTE OF INDIA, NOVEMBER 21, 2020 (KARTIKA 30, 1942)	[PART I—SEC
7	Joint Secretary (RA), Ministry of Civil Aviation	Member
3	Joint Secretary (AD), Ministry of Civil Aviation	Member
)	Chief Controller of Finance, Ministry of Civil Aviation	Member
0	Deputy Director General, Ministry of Civil Aviation	Member
1	Joint Secretary, Department of Official Language, MHA	
2	Director General, Directorate General of Civil Aviation, New Delhi	Member
3	Director General, Bureau of Civil Aviation Security, New Delhi	Member
4	Chief Commissioner of Railway Safety, CRS, Lucknow	Member
5	Director General, Aircraft Accident Investigation Bureau, New Delhi	
6	Chairman and Managing Director, Air India Ltd, New Delhi	Member
7	Chairman, Airports Authority of India, New Delhi	Member
8	Chairman and Managing Director, Pawan Hans Ltd., Noida	Member
9	Director, Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Fursatganj Airfield, Amethi	Member
20	Chairman, Airports Economic Regulatory Authority of India, New Delhi.	Member
21	Vice chancellor, Rajiv Gandhi National Aviation University, Fursatganj Airfield, Amethi	Member
C) N	NON OFFICIAL MEMBERS	
Лem	bers of Parliament nominated by Ministry of Parliamentary Affairs	
22	Sh Raju Bist, MP (Lok Sabha), H.No 18, Road No 75, West Punjabi Bagh, New Delhi-110026 Email Id: raju_bist@Yahoo.co.uk	Memb
23	Sh Ravindra Shyamnarayan Shukla, MP (Lok Sabha), 28, Duplex North Avenue, New Delhi-110001 Email Id: ravikishanshukla@gmail.com	Memb
4	Shri Bhupendra Yadav, MP (Rajya Sabha), C 1/12-A. Pandara Park, Pandara Road, New Delhi - 110 003 Email Id : bhupenderyadav69@gmail.com	Memb
25	Nomination of one more Hon'ble Rajya Sabha Member is awaited from Ministry of Parliamentary Affairs (The earlier nominated Hon'ble member has since retired)	
1em	bers of Parliament nominated by Committee of Parliament on Official Language	
26	Sh Sushil Kumar Gupta, MP (Rajya Sabha) 18, Firozeshah Road, New Delhi-110001 Email Id: Sushilgupta.gupta@gmail.com	Memb
27	Smt Kanta Kardam, MP (Rajya Sabha), Flat No 5, Meena bagh, Maulana Azad Road, Opposite Nirman Bhawan, New Delhi-110001 Email Id: Kantakardam27july@gmail.com	Memb
Леm	ber nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad	
28	Shri Pankaj Diwan, Maha Mantri, Kendriya Sachivalya Hindi Parishad, Type-IV, 116. Laxmibai Nagar, New Delhi-110023	Memb
1em	ber nominated by Akhil Bhartiya Voluntary Organisations	
9	Sri Vibhuti Mishra, Prime Minister, Hindi Sahitya Sammelan, Prayag	Memb
1em	bers nominated by Ministry of Civil Aviation	
0	Sh Sandeep Bhutoria, Writer, 1A, Camac Court, 25 B, Camac Street, Kolkata-700016	Memb
1	Smt Mekhla Dutta, Ex General Manager, Air India Ltd., Banyan-2, Chhattisgarh Housing Board Colony, Boriakalan, Raipur-492015	Memb

Sh Prem Singh, Retired Joint Director (OL), 1585 A, Sector-B, Paket-I, Vasant Kunj,

Sh Ramesh Chander, Chairman, Haryana Hindi Sanstha, 46/22, Gandhi Nagar, Pataudy Road, Gurugram, Haryana-122001

Member

Member

32

33

New Delhi-110070

Members Nominated by Department of Official Language

- 34 Dr. Yogendra Mishra, Lohia Chowk, Mumukshu Bhawan, Assi, Varanasi, Uttar Pradesh-221005 Member
- Pro. R. S. Sarrju, Professor Hindi, School of Humanities, University of Hyderabad, Gachibowli, Member Hyderabad, Andhra Pradesh 500046
- 36 Dr. Gyanendra Kumar Santosh, Assistant Professor, Jawarharlal Nehru University, New Delhi Member
- (D) Member Secretary (Ex-officio)
- 37 Joint Secretary (AR), Ministry of Civil Aviation

Member Secretary

FUNCTIONS OF THE SAMITI

The functions of the Samiti will be to render advice with regard to the implementation of the provisions relating to Official Language Hindi contained in the Constitution, Official Language Act and Rules, and Policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Ministry of Home Affairs/Department of Official Language relating to Official Language Hindi and also in regard to the Progressive use of Hindi in the Ministry of Civil Aviation.

TENURE

The tenure of the members of the Samiti shall ordinarily be three years from the date of its reconstitution provided that:

- 1. A member, who is a Member of Parliament, ceases to be a member of the Samiti as soon as he/she ceases to be a Member of Parliament.
- 2. Ex-officio Members of the Samiti shall continue as members as long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti.
- 3. If a vacancy arises in the Samiti due to resignation, death etc, of the member, the new member appointed on the vacancy, shall hold office for the residual term of three years.

Travel allowance and other allowances

The non-official members will be paid travelling and daily allowance for attending the meeting of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time.

HEADQUARTERS

The headquarters of the Samiti shall be at New Delhi.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Ordered also that a copy of this resolution be communicated to all Members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ANGSHUMALI RASTOGI Joint Secretary